नव प्रदेश

www.navpradesh.com

रायपुर, गुरुवार 28 अक्टूबर 2021, कृष्ण पक्ष अष्टमी, विक्रम संवत-2077 वर्ष-10 अंक-255 पृष्ठ-08 मूल्य-3 रुपए

रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, जबलपुर व रांची से एक साथ प्रकाशित

आज बेबाक

बिहार में दो विधानसभा सीटों के लिए होने जा रहे उपचुनाव में अब जमानत पर छूटे लालू यादव ने भी एंट्री मार दी है। उन्होने पटना पहुंचते ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार पर निशाना साधा है कि वे उनका विसर्जन करने आए है। इसके जवाब में नीतिश कुमार ने कहा है कि लालू कुछ नहीं कर सकते, हां अगर लालू चाहे तो उन्हे गोली मरवा दें। इसके पहले लालू यादव ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बिहार के प्रभारी भक्त चरण दास को लेकर भी अत्यंत आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सही बात है रस्सी जल जाती है पर ऐठन नहीं जाती।

सूर्योदय

उदय : 6:29 सुबह

अस्त : 5:40 शाम

जनसंख्या

विश्व : 7,902,631,410

भारत : 1,398,227,790

बाजार

संसेक्स : 61,143.33

निफ्टी : 18,196.00

गोल्ड : 47,766 प्रति 10 ग्राम

चांदी : 64,989 प्रति किग्रा

अण्डा दर : 4.23 प्रति नग

दिवस

अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस: अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस को हम उन लोगों के लिए मनाते है, जिन्होंने इंटरनेट का निर्माण करने में मदद की और हमेशा के लिए हमारे जीवन को बदल दिया। इसका उद्देश्य दूरसंचार और प्रौद्योगिकी के इतिहास को चिन्हित करना है। यह दिन पहला इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिसे वर्ष 1969 में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा गया था।

महफूज नहीं 259 छात्रों की जिंदगी, जर्जर भवन में लग रही क्लास

9 साल में प्राचार्य ने मरम्मत के लिए 39 बार लगाई गुहार, डीईओ व बीईओ ने नहीं सुनी पुकार

ईश्वर चंद्रा

कोरबा (नवप्रदेश)। आदिवासी बाहुल्य कोरबा जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पडनिया के 259 बच्चों व दर्जनों शिक्षकों की जिंदगी महफूज नहीं है। कब विद्यालय में अप्रिय घटना घट जाए कहा नहीं जा सकता। गुणवत्ताहीन जर्जर भवन में बच्चों की कक्षाएं लग रही है। बीईओ को 34 बार एवं डीईओ को 5 बार मरम्मत के लिए मांग पत्र भेजे जाने के बाद भी अधिकारियों द्वारा सुध नहीं लिए जाने से यह हालात निर्मित हुए हैं। शिक्षकों सहित बच्चों ने कलेक्टर से पहल की गुहार लगाई है। जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कटघोरा विकासखण्ड के प्रयत्क्ष खनन प्रभावित क्षेत्र पड़निया जिले के स्कूलों में बेहतर अधोसंरचना के दावे की पोल खोलने के लिए काफी है। 2012 में यहां शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला का भवन तैयार हुआ था। भवन ■ शेष पृष्ठ 6 पर

दफ्तर में बैठे डीईओ के भरोसे कैसे होगी नईया पार

भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार कर जिले में अपनी खूब फजीहत कराकर मुंगेली स्थान्तरित हुए डीईओ सतीश पाण्डेय के जाने के बाद नए डीईओ जीआर भारद्वाज की पदस्थापना से यह आश बंधी थी कि वो जिले की छवि सुधारकर शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ बनाएंगे। निसंदेह डीईओ भारद्वाज के कार्यकाल में उन पर ऐसे कोई बड़े भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं लेकिन जिले की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाने उनमें वो जज्बा और ऊर्जा और नेतृत्व ■ शेष पृष्ठ 6 पर

डीएमसी चला रहे शिक्षा विभाग

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को डीएमएसी एसके अमबष्ट चला रहे हैं। जो खुद अपने दफ्तर में दो घंटे बैठ गए तो बहुत है। डीईओ के साथ दिनभर डीएमसी को उनके पीए की तरह रहते हुए देखा जा सकता है। डीईओ के हर एक फैसले में डीएमसी की बड़ी भूमिका रहती है। हाल ही में खनिज संस्थान न्यास के जिन कार्यों के गड़बड़ी की जांच चल रही थी। प्रशासन ने उसमें भुगतान के भी आदेश दे दिए हैं। लिहाजा वे ठेकेदारों से ही घिरे रहे। निश्चित तौर पर डीईओ को अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना होगा ताकि उन पर डमी डीईओ का टैग न लगे।

किस काम का सीएसआर

जिले में लघु मरम्मत सहित खनिज न्यास में भी करोड़ों का शिक्षा सेक्टर के लिए रखा गया है। कलेक्टर हर बैठकों में ऐसे जर्जर स्कूल भवनों की जानकारी मांग रही हैं। लेकिन जिला व ब्लाक मुख्यालय में बैठे अधिकारी कोपभाजन से बचने सब कुछ ठीक ठाक होने की बात कह झूठी वाहवाही लूट रहे हैं। बहरहाल बच्चों एवं शिक्षकों ने कलेक्टर से शीघ्र पहल की गुहार लगाई है।

कोवैक्सीन को डबल्यूएचओ की मान्यता का इंतजार

दिल्ली (ए.)। कोवैक्सीन पर डबल्यूएचओ का फैसला जल्द आ सकता है. इस फैसले पर लाखों लोगों की यात्राओं के फैसले टिके हुए हैं क्योंकि विभिन्न देश तभी भारतीय टीके को मान्यता देंगे, जब उसे विश्व स्वास्थ्य संगठन की मान्यता मिलेगी.सुगाथन पी. आर. को काम पर लौटना है. नौ महीने से वह नौकरी पर नहीं गए हैं. दक्षिण भारत में एक गांव के रहने वाले सुगाथन सऊदी अरब में काम करते हैं लेकिन अब तक भारत में ही फंसे हैं क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की वैक्सीन कोवैक्सीन को मान्यता नहीं दी है. सुगाथन की ही तरह करोड़ों भारतीयों ने कोवैक्सीन का टीका लगवाया था. अब जबकि सीमाएं खुल रही हैं और लोग दूर देश की यात्राएं कर पा रहे हैं, कोवैक्सीन लगवाए ये लोग फंसे हुए हैं क्योंकि इनके टीके को बहुत से देश मान्यता नहीं दे रहे हैं.

कब आएगा फैसला 57 वर्षीय सुगाथन कहते हैं, मैं यहां कब तक खाली बैठा रह सकता हूं. वह जनवरी में केरल आए थे. पिछले ■ शेष पृष्ठ 6 पर

अमेरिका में इस्तेमाल की अनुमति दिए जाने की मांग की थी, जिसे SFDA ने नकार दिया था

लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिकी ड्रग कंट्रोलर से इसे इस्तेमाल के लिए अनुमति नहीं मिली है. भारत बायोटेक की अमेरिकी सहयोगी ऑक्युजेन ने इसे अमेरिका में इस्तेमाल की अनुमति दिए जाने की मांग की थी, जिसे USFDA ने नकार दिया था. दोनों ही जगहों पर वैक्सीन को अनुमति न दिए जाने की वजह कंपनी की ओर से तीसरे चरण के ट्रायल से जुड़ी पर्याप्त जानकारियां न देना बताया गया था. हालांकि इसके बावजूद ऐसे कई देश हैं, जिनकी ड्रग कंट्रोलर एजेंसियों ने कोवैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है. भारत के अलावा अब तक गुयाना, ईरान, मॉरीशस, मेक्सिको, नेपाल, पराग्वे, फिलीपींस, जिम्बाब्वे और एस्टोनिया में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. भारत के प्रधानमंत्री सहित केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों ने कोवैक्सीन की ही डोज ली है. इसने भी इस वैक्सीन के प्रति लोगों के विश्वास में बढ़ोतरी की है.

केरल पर टूट रहा कोरोना का कहर

41 गर्भवती महिलाओं की मौत 149 संक्रमितों ने की खुदकुशी

नई दिल्ली (ए.)। केरल भारत का सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य है। पूरे देश में आज कोरोना से 585 मौतें हुई जिसमें से अकेले 482 केरल में दर्ज की गईं। इतना ही नहीं राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बुधवार को बताया कि केरल में कोरोना से अब तक 41 गर्भवती महिलाओं की मौत हो चुकी है और इसके अलावा 149 लोग कोरोना संक्रमण के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने यह जानकारी विधानसभा में अपने एक जवाब में दी।

जॉर्ज ने कहा, जिलों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 41 गर्भवती महिलाओं ने इस बीमारी के कारण दम तोड़ दिया है। इसके अलावा, वायरल संक्रमण से प्रभावित 149 रोगियों ने आत्महत्या की है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बुधवार को यहां कहा कि दक्षिणी राज्य में डेढ़ साल पहले वायरस के संक्रमण के बाद केरल में कोविड-19 से अब तक 41 गर्भवती महिलाओं की मौत हो चुकी है।

आईसीएमआर अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, केरल में सीरो सकारात्मकता ■ शेष पृष्ठ 6 पर

आज फैसले की उम्मीद

आर्यन खान केस में फिर टली सुनवाई

मुंबई (ए.)। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बेल पर दूसरे दिन की सुनवाई हाई कोर्ट में शुरू हो चुकी है। अरबाज मर्चेंट की तरफसे अमित देसाई पक्ष रख रख चुके हैं। अब मुनमुन धमेचा की तरफ से अली काशिफ खान देशमुख दलीलें रख रहे हैं। अमित देसाई ने कोर्ट में कहा कि आर्यन, अरबाज और मुनमुन सिर्फ ड्रग्स लेने के लिए आए थे, और कोई साजिश नहीं थी। उन्होंने कहा कि ड्रग्स सिर्फ पर्सनल यूज के लिए थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देसाई ने कहा, पहली रिमांड में भी किसी कॉन्सपिरेसी की बात नहीं कही गई थी। बाद में मजिस्ट्रेट कोर्ट से कहा गया कि साजिश थी जिसकी वजह से 8 लोगों को अरेस्ट किया गया हालांकि ऐसा नहीं हुआ था। जिस मामले में हम 20 दिन से ज्यादा वक्त कस्टडी में गुजार चुके हैं, उसमें आज तक कोई गिरफ्तारी हुई ही नहीं है, कॉन्सपिरेसी अलग अपराध है। उन्होंने कहा कि हम 1 साल की सजा वाले अपराध में सिर्फबेल मांग रहे हैं। जब सजा ही 1 साल है तो कस्टडी क्या जरूरत है। बेल मिलने पर भी जांच चल सकती है। देसाई ने कहा कि एनसीबी जब बुलाएगी तीनों पहुंच जाएंगे, अब बेल मिल जानी चाहिए।

आर्यन की तरफ से पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी मंगलवार को अपना पक्ष रख चुके हैं। जज ने आगे की जिरह के लिए बुधवार लंच ■ शेष पृष्ठ 6 पर

मुकुल रोहतगी रख चुके हैं ये बातें

मंगलवार को मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा था कि उनके क्लाइंट के खिलाफ एनसीबी को कुछ नहीं मिला। उन्होंने ये भी दलील दी थी कि आर्यन के वॉट्सऐप चैट क्रूज पार्टी रेड से जुड़े नहीं बल्कि पुराने हैं। सिर्फ चैट्स के आधार पर उन्हें 20 दिन तक जेल में नहीं रखा जा सकता।

दौरे से लौटते ही सीएम भूपेश ने भाजपा को दिया जवाब

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने तीन दिवसीय उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के दौरे से बुधवार शाम राजधानी लौटे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट पर ही मीडिया से चर्चा के दौरान अपने दौरे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस के कई आला नेताओं और सामाजिक लोगों से मुलाकात की। जहां 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा हुई। वहीं हिमाचल प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के दौरान अर्की क्षेत्र में उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया है। उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा भी किया।

अव्वल पीएम और तेल की बढ़ती कीमतों पर सीएम का तंज : केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नरेंद्र मोदी को सफलतम प्रधानमंत्री ■ शेष पृष्ठ 6 पर

आदिवासियों की तरक्की से भाजपा को है तकलीफ : सीएम

राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य समारोह को लेकर भाजपा ने सरकार पर आरोप लगते हुए कहा था कि सरकार एक ओर कर्ज में डूबी हुई है वहीं अरबों रुपये समारोह में पानी की तरह बहा रही है। सीएम भूपेश ने आरोप का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य समारोह में देश और दुनिया के लोग पहुंच रहे हैं तो भाजपा को तकलीफहो रही है। सीएम ने कहा कि भाजपा चाहती है कि आदिवासी पूर्व की भांति ही लंगोट पहने रहें और जंगल में ही रहे। भाजपा की मंशा इस बहाने जगजाहिर हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी नृत्य महोत्सव कराने में कोई अरबों रुपए का खर्च सरकार नहीं कर रही है, जिससे कि कर्ज लेने की नौबत आए। सीएम भूपेश ने भाजपा के शासनकाल में हुए कार्यक्रमों का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि पिछले शासनकाल का लेखा-जोखा देखा जाए तो बाल की खाल निकाले जा सकते हैं, लेकिन हमें उन बातों पर नहीं जाना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आदिवासी हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान है, उसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिल रही है और भाजपा को इससे दिक्कत हो रही है।

माशिमं ने दिए मार्च में 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा के संकेत

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 2021-22 के 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जूटा हुआ है। मंडल के अला अफ्सरों कि मानें तो इस साल 10वीं और12वीं बोर्ड परीक्षाएं मार्च महीने से ही शुरू की जा सकती हैं। वहीं प्रैक्टिकल परीक्षा स्कूलों में होने वाली छमाही परीक्षा के बाद होगी, जो संभवतः जनवरी महीने में लिए जा सकते है।

जनवरी में प्रैक्टिकल सम्भव

मंडल से मिले जानकारी के मुताबिक साल 2021-22 के शैक्षणिक सत्र में कक्षा 10वीं में तक़रीबन 3 लाख 90 हज़ार और 12वीं की परीक्षा में बैठने के लिए 2 लाख 92 हज़ार नियमित परीक्षार्थियों ने फार्म भरा है। पिछले साल की तरह इस वर्ष भी कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में कुछ जगहों पर आनलाइन क्लासेस ही संचालित किए जा रहे है। हालाँकि प्रदेश के अधिकतर जिलों में आफ्लाइन कक्षाएं भी कोविड गाइडलाइन के मुताबिक चल रही है। इस लिहाज़ से मंडल ने इस बार भी 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए पिछली बार की तरह असाइनमेंट अस्समेंट रखा है। जिसमें छात्रों को हर सब्जेक्ट केलिए 6 असाइनमेंट ज़ारी किए जाएंगे। असाइनमेंट नहीं देने की स्थिति में मंडल उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल होने ■ शेष पृष्ठ 6 पर

श्रीलंका में अब निशाने पर आया शरिया कानून, 'एक देश, एक कानून' लागू करने की तैयारी

कोलंबो। श्रीलंका में बढ़ते इस्लामिक अतिवाद के खिलाफ राजपक्षे सरकार ने जोरदार ऐक्शन की तैयारी की है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश में 'एक देश, एक कानून' की अवधारणा की स्थापना के लिए 13 सदस्यों का एक कार्यबल गठित किया है। इसका नेतृत्व मुस्लिम विरोधी रुख के लिए मशहूर एक कट्टर बौद्ध भिक्षु कर रहे हैं। 'एक देश एक कानून' 2019 के चुनाव में राजपक्षे का नारा था और उन्हें इस चुनाव में देश की बहुसंख्यक आबादी बौद्ध की तरफ से भारी समर्थन मिला था। 'एक देश एक कानून' अवधारणा की स्थापना के लिए एक विशेष राजपत्र के द्वारा राष्ट्रपति ने कार्य बल नियुक्त किया। इसका नेतृत्व गलागोदाथ ज्ञानसारा कर रहे हैं, जो एक कट्टर बौद्ध भिक्षु हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले में जांच के दिए आदेश

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके अनाधृकित जासूसी के आरोपों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त कर दी है. तकनीकी विशेषज्ञों की यह समिति अदालत की निगरानी में काम करेगी.यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों वाली एक पीठ ने दिया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस सूर्या कांत और जस्टिस हीमा कोहली शामिल थे. समिति में तीन तकनीकी विशेषज्ञ होंगे और सेवानिवृत्त जज जस्टिस आरवी रवींद्रन समिति के काम की देखरेख करेंगे. समिति सभी आरोपों का अध्ययन करेगी और अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. सुप्रीम कोर्ट मामले पर आठ सप्ताह बाद फिर से सुनवाई करेगा. सुनवाई 12 याचिकाओं पर हो रही है जिन्हें एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, पत्रकार एन राम, शशि कुमार और परंजॉय गुहा ठाकुरता, तृणमूल कांग्रेस के नेता यशवंत सिंह और एडीआर संस्था के सह-संस्थापक जगदीप छोकर जैसे लोगों ने दायर किया था.

क्या है मामला पेगासस एक इस्त्रायली जासूसी सॉफ्टवेयर है. नवंबर 2019 में सामने आया कि इसकी मदद से व्हाट्सऐप के जरिए भारत में कम से कम 24 नागरिकों की जासूसी की गई. फिर जुलाई 2021 में एक वैश्विक मीडिया इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि पेगासस के जरिए भारत में 300 से ज्यादा मोबाइल नंबरों की जासूसी की गई. इनमें नरेंद्र मोदी सरकार में उस समय कार्यरत दो मंत्री, विपक्ष के तीन नेता, एक संवैधानिक अधिकारी, कई पत्रकार और कई व्यापारी शामिल थे. पेगासस की मालिक इस्त्राएली कंपनी एनएसओ यह ■ शेष पृष्ठ 6 पर

सुरक्षा | सड़क पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर कड़े नियम बनाने जा रही केंद्र सरकार

जरूरी होगा बच्चों के लिए हेलमेट, तय होगी स्पीड लिमिट

नई दिल्ली (ए.)। सड़क पर बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए केंद्र सरकार कुछ कड़े नियम बनाने जा रही है. कार में बच्चों की सेफ्टी के लिए जहां पहले से कई नियम हैं, वहीं अब 2-व्हीलर्स के लिए भी इन्हें लाया जा रहा है. कार में बच्चों की सुरक्षा के लिए कई उपाय पहले से होते हैं. लेकिन अब केंद्र सरकार बहुत जल्द 2-व्हीलर्स से जुड़े ऐसे सुरक्षा नियम बनाने जा रही है जो देश के भविष्य यानी कि बच्चों की सड़क पर सुरक्षा को और मजबूत बनाएगा. महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करने के

बाद सरकार अब 2-व्हीलर पर पीछे बैठे बच्चों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य करने जा रही है. केंद्र सरकार ने इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम-1989 में नियमों को संशोधित करने का प्रस्ताव रखा है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नियमों का एक मसौदा आम लोगों की राय जानने के लिए जारी किया है. एक बार अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो ये नियम लागू हो जाएंगे. सूत्रों का कहना है कि ये नियम 2022 के अंत तक लागू हो जाएंगे. बच्चों के लिए हेलमेट पहनने का नियम अनिवार्य होने के बाद यदि किसी 2-व्हीलर पर पीछे 9 महीने से लेकर 4 साल तक का बच्चा भी सवारी कर रहा है तो उस बच्चे को एक क्रैश हेलमेट या साइकिल के साथ पहने जाने वाला हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा. इस हेलमेट के मानक सरकार तय करेगी.

40 की स्पीड पर चलानी होगी गाड़ी

अगर आप बच्चे के साथ 2-व्हीलर की सवारी कर रहे हैं तो स्पीड लिमिट का भी ध्यान रखना होगा. इस स्थिति में आपकी बाइक या स्कूटर की लिमिट 40 किमी प्रति घंटा से अधिक नहीं हो सकती. प्रस्तावित नियमों के मुताबिक इसका उल्लंघन करने पर आपको 1,000 रुपये का फाइन देना होगा, साथ ही तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त हो सकता है.

बच्चों को पहनाना होगा 'सेफ्टी हार्नेस'

इतना ही नहीं सरकार ने बच्चों के लिए 2-व्हीलर पर सेफ्टी हार्नेस को भी अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया है. सेफ्टी हार्नेस एक एडजस्टेबल जैकेट की तरह होता है, जिसमें स्ट्रैप होती हैं और ये बच्चों को ड्राइवर से जोड़ देती हैं. इसके लिए मानक भारतीय मानक ब्यूरो तय करेगा, क्योंकि इन सेफ्टी हार्नेस का वजन में हल्का, वाटरप्रूफ और टिकाऊ होना जरूरी है. ये 30 किलोग्राम तक का वजन उठाने में सक्षम होनी चाहिए.

नेपाल में अब न्यायिक संकट, चीफ जस्टिस के विरोध में वकीलों का बहिष्कार; कामकाज ठप

काठमांडू। नेपाल में राजनीतिक संकट के बाद अब न्यायिक संकट खड़ा हो गया है। दरअसल, अपने रिश्तेदार को प्रधानमंत्री के कैबिनेट मे जगह दिलवाने के आरोपों से घिरे चीफ जस्टिस चोलेंद्र शमशेर राणा ने अब अपना पद छोड़ने से साफइनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का एक गुट चीफ जस्टिस का इस्तीफा मांग रहे है तो वहीं कुछ वकीलों ने शीर्ष न्यायालय का बहिष्कार कर दिया है। शीर्ष न्यायालय के 15 जजों के साथ मंगलवार को हुई बैठक के दौरान ■ शेष पृष्ठ 6 पर

न्यूज गैलरी

शहीदों को श्रद्धांजली देते हुए जिला पुलिस बल ने निकाला पैदल मार्च, आईजी हुए शामिल

दुर्ग (नव प्रदेश)। दुर्ग संभाग के आईजी विवेकानंद सिन्हा के नेतृत्व में जिला पुलिस बल के अधिकारी कर्मचारी सहित एनसीसी केडर के छात्र शामिल थे । पैदल मार्च पुरानी पुलिस लाइन से निकली गई। जो शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए शहीद चौक से समाप्त हुई । पैदल मार्च का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। वंदे मातरम् ,भारत माता, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते चल रहे थे । शहर के गणमान्य नागरिकों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम्, हिन्दुस्तान जिंदाबाद के जयकारे लगाते हुए जोरदार स्वागत किए।

पेयजल व्यवस्था देखने निचली बस्ती में पहुंचे आयुक्त, लोगों से की चर्चा

बूस्टर लाइन डालने के बाद इंटरकनेक्शन में लापरवाही आयुक्त ने थमाया शो कॉज नोटिस

नव प्रदेश संवाददाता

भिलाई नगर। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे पेयजल व्यवस्था का जायजा लेने वार्ड क्रमांक 4 सुपेला थाना के समीप के पीछे निचली बस्ती एवं डूबान क्षेत्र अटल/रेशने आवास पहुंचे, यहां मोहल्ले में पहले पानी नहीं आने की समस्या थी, जहां पाइप लाइन डालकर इंटरकनेक्शन का कार्य कुछ दिन पूर्व किया गया है। आयुक्त ने रहवासियों से पानी आने को लेकर चर्चा की। रहवासियों ने बताया कि पहले पानी बिल्कुल नहीं आता था, अब पानी आने लगा है परंतु प्रेशर कम है आयुक्त ने अधिकारियों से पानी के प्रेशर की जानकारी ली। जल विभाग के अधिकारियों ने इस पर बताया कि इंटरकनेक्शन के बाद एंड कैंप बंद करने का काम प्रगति पर है जैसे ही यह कार्य हो जाएगा पानी का प्रेशर भी बढ़ जाएगा। आयुक्त कोसानगर के मराठी मोहल्ला पहुंचे, इस स्थल पर पहले पानी कम आने की समस्या थी, परंतु अब पाइपलाइन बिछाने के बाद से 120 परिवार को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है। आयुक्त ने रहवासियों से फीडबैक लिया, घर मालिकों ने बताया कि पर्याप्त मात्रा में पानी आ रहा है। वही आयुक्त वार्ड क्रमांक 6 अंतर्गत शंकर नगर, इंदिरा नगर एवं उड़िया पारा पहुंचे! इस क्षेत्र के पानी की समस्या का समाधान करने के लिए 250 मीटर बूस्टर डीआई पाइपलाइन बिछाया जाना था, जिसका कार्य पूर्ण हो गया है इसके बाद इंटरकनेक्शन का भी कार्य किया जाना है परंतु निरीक्षण के दौरान जहां इंटरकनेक्शन किया जाना था वहां न करके दूसरे स्थान पर कार्य किया जा रहा था। जोन के अधिकारी एवं जल विभाग के अधिकारियों के मध्य समन्वय एवं पर्यवेक्षण नहीं करने के कारण इस प्रकार की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। आयुक्त श्री सर्वे ने पेयजल के प्रमुख मुद्दे पर लापरवाही बरतने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और उपस्थित अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने बजरंग पारा जुनवानी, मॉडल टाउन, उड़िया पारा, संजय नगर लेबर कॉलोनी, मुरूम खदान फरीद नगर, हाउसिंग बोर्ड, कोहका एवं भाटापारा कोहका का भी निरीक्षण पेयजल व्यवस्था को लेकर किया।

दलहन क्षेत्र विस्तार अंतर्गत उतेरा फसल लेने कृषकों को किया जा रहा है प्रेरित

दुर्ग (नव प्रदेश)। राज्य में वृहद रूप से उतेरा फसल के रूप में दलहन-तिलहन की खेती की जाती है। शासन के निर्देशानुसार जिले में वर्षा आधारित क्षेत्र में धान फसल की कटाई उपरांत भूमि के अवशेष नमी का उपयोग करते हुए उतेरा फसल के रूप में तिवड़ा की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। खरीफ की प्रमुख फसल धान की कटाई के 20-25 दिन पूर्व धान की खड़ी फसल में दलहन-तिलहन फसलों के बीज को छिड़कवां विधि से बोआई कर उतेरा फसल ली जाती है। वर्तमान में धान की फसल पर परिपक्व अवस्था में है।

न्यायालय तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-.../वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स हर्षित सिंघानिया बिल्डकान भागीदार सुबोध सिंगानिया आ. श्याम लाल सिंघानिया निवासी रायपुर द्वारा ग्राम अमलेश्वर प.ह.नं. 5 तहसील पाटन की भूमि खसरा नंबर 208/2 रकबा 0.257 हे. था जो कि विभागीय टंकन त्रुटि के कारण 0.057 हे. दर्ज कर दिया गया है। जिसके संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 30.10.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 11.10.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. नं. 202110100400324

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक हेमनाथ रामटेके आ. शंकर लाल रामटेके निवासी से-4 भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 293/2 का टु. रकबा 0.038 हें/ 4030 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 20.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. नं. 202110100400466

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिक सविता महोबिया आ. प्रकाश महोबिया निवासी खेदामारा द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम खेदामारा प.ह.न. 16 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 987/47 रकबा 0.05 हें/ 5382 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 26.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. नं. 202110100400462

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक प्रकाश महोबिया आ. रामचरण महोबिया निवासी खेदामारा द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम खेदामारा प.ह.न. 16 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 986/2 रकबा 0.10 हें/ 10763 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 26.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. नं. 202110100400465

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक प्रकाश महोबिया आ. रामचरण महोबिया निवासी खेदामारा द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम खेदामारा प.ह.न. 16 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 987/46 रकबा 0.06 हें/ 6458 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 26.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. नं. 202110100400464

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक कौशल महोबिया आ. रामचरण महोबिया निवासी खेदामारा द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम खेदामारा प.ह.न. 16 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 986/26 रकबा 0.090 हें/ 9687 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 26.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. नं. 202110100400467

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक कौशल महोबिया आ. रामचरण महोबिया निवासी खेदामारा द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम खेदामारा प.ह.न. 16 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 987/48 रकबा 0.05 हें/ 5382 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 26.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका सलाम मोहम्मद पिता/पति सफी. मोहम्मद निवासी चंदखुरी मौजा चंदखुरी प.ह.नं. 29 रा.नि.मं. अण्डा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1445 रकबा 0.38 हे. सुन्नत बी. नाम पर दर्ज है भूमि के भूमिस्वामी की मृत्यु दिनांक 07/02/20 हो जाने पर वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 12.11.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 22.10.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग -1 (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-6/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक महेन्द्र कुमार वर्मा आ. श्याम लाल वर्मा साकिन उतई के द्वारा ग्राम खोपली प.ह.न 43 रा.नि.मं. अण्डा तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 823/1 रकबा 0.55 हे. भूमि उत्तम कुमार आ. सोनउ निवासी ग्राम खोपली तह. व जिला दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 25/10/21 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणिकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत दिनांक 11.11.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 26.10.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र.//अ-06/ वर्ष 2020 -21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका पल्लवी भारती पिता वकील राम टाण्डे निवासी सेक्टर-8 भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा अपने हक की क्रय शुदा भूमि ग्राम जुनवानी प.ह.नं. 53 तह व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नं. 338/3 रकबा 3000 वर्गफीट हे. भूमि को विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता संदीप कुमार पिता/पति शीतलचंद के नाम से पृथक कर आवेदन का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया गया है जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 12.11.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 25/10/21 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र.//अ-06/ वर्ष 2020 -21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक ललित कुमार कौशिक पिता/पति श्री राम कुमार कौशिक निवासी कुर्सीपार भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा अपने हक की क्रय शुदा भूमि ग्राम जुनवानी प.ह.नं. 53 तह व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नं. 1182/17 रकबा 0.0200 हे. भूमि को विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता श्रीनिवास खेड़िया पिता/पति स्व. सांवलदासस के नाम से पृथक कर आवेदन का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया गया है जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 29.10.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 13/10/21 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र.//अ-06/ वर्ष 2020 -21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक अशोक कुमार पिता पति होरीलाल कश्यप निवासी कुर्सीपार भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा अपने हक की क्रय शुदा भूमि ग्राम जुनवानी प.ह.नं. 53 तह व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नं. 1182/17 रकबा 0.0200 हे. भूमि को विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता श्रीनिवास खेड़िया पिता/पति स्व. सांवलदासस के नाम से पृथक कर आवेदन का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया गया है जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 29.10.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 13/10/21 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-74/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक हरीशचंद पिता पोसुदास व अन्य 1 निवासी ग्राम कसारीडीह दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 718/8, शा. 716/2 रकबा 0.020 हे. भूमि जो कि आवेदक/शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा मूल ऋण पुस्तिका गुम हो जाने पर डुप्लिकेट ऋणपुस्तिका प्रदाय करने हेतु आवेदन पत्र चालान की मूल प्रति, बैंको द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र, थाना की रिपोर्ट व राजस्व अभिलेख सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 15.11.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 25.10.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषण-पत्र

रा.प्र.क्रं./ अ-6/2021-22

एतद द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक राम सम्हार राय पिता/ स्व. रामसुरत राय निवासी ग्राम मैत्रीकुंज रिसाली तहसील दुर्ग जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम रिसाली तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 276/24/2 रकबा 0.009 हे. भूमि जो कि आवेदक/शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार श्रीमती बिंदु राय की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतएव इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह पेशी दिनांक 16/11/21 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 26/10/21 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

जारी दिनांक 26/10/21

पेशी दिनांक 16/11/21

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषण-पत्र

रा.प्र.क्रं./ अ-6/2021-22

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक संतलाल आ. पति मंशा राम निवासी उमरपोटी तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम उमरपोटी तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 94, 110 रकबा 0.0300 हे. भूमि जो कि स्व. कुंती पिता स्व. मंशा राम के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि के भूमिस्वामी के मृत्यु कुंती पिता मशाराम 19/4/21 हो जाने पर फौती दर्ज कर विधिक वारिसानों का नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने बाबत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह पेशी दिनांक 11/11/21 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 26/10/21 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग

// शपथ पत्र //

मैं शपथकर्ती बिंदा बाई शिवारे (BINDA BAI SHIVARE) पति स्व. शिव कुमार शिवारे उम्र 65 वर्ष, निवासी- ग्राम सांकरा, पाटन रोड, तह. पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.) की निवासी हूं जो निम्नलिखित अभिकथन शपथपूर्वक करती हूं :- मेरा नाम व पता उपरोक्तानुसार हैं। मेरे कुछ बैंक एवं शासकीय अभिलेखों में मेरा नाम श्रीमती शिवारे वीना (SHIVARE VEENA) दर्ज हो गया है। मेरे पैन कार्ड, एवं अन्य शासकीय, अर्द्धशासकीय रिकार्डों में मेरा नाम बिंदा बाई शिवारे (BINDA BAI SHIVARE) दर्ज है। मेरा वास्तविक नाम बिंदा बाई शिवारे (BINDA BAI SHIVARE) पति स्व. शिवकुमार शिवारे है, जिसे मेरे शैक्षणिक रिकार्डों, राजस्व अभिलेखों सहित समस्त बैंक, बीमा, शासकीय व अर्द्धशासकीय अभिलेखों में मैं अपना सही नाम बिंदा बाई शिवारे (BINDA BAI SHIVARE) पति स्व. शिवकुमार शिवारे दर्ज करवाना चाहती हूं।

यह कि उपरोक्त शपथ पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नाम परिवर्तन हेतु प्रस्तुत करना है, अतः शपथ पत्र प्रस्तुत हैं।

मुहर — शपथकर्ता, बिंदा बाई शिवारे

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

राजस्व प्रकरण क्रमांक अ/ वर्ष 2021-22

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक उमा बाई साहू ध.प. मुनेश कुमार साहू वैगरा साकिन खम्हरिहा द्वारा ग्राम करंजा भिलाई प.ह.न. 12 रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख. नं. 403/3, 858 रकबा 0.30,0.36 हे. को उसके स्व. पति मुनेश कुमार के द्वारा उसके नाम पर वसीयतनामा निष्पादित किया है, के आधार पर नामान्तरण किये जाने बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त भूमि को वसीयत नामा के आधार पर आवेदक के नाम पर नामान्तरण किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 8.11.21 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सके हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 20.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका अनिता देवी मालू पति महेन्द्र कुमार मालू निवासी ग्राम आमदी मंदिर वार्ड दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम तितुरडीह तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 122/144 रकबा 0.008 हे. भूमि को विक्रेता गौतमचंद जैन वगै. पिता स्व. रामलाल जैन निवासी ग्राम दीपक नगर दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 23/11/2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 15.11.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 20.10.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हकप्रास्तकर्ता योगेश कुमार साहू पिता स्व. पठन लाल साहू निवासी ग्राम साहू सदन के पास केलाबाड़ी दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम ..... तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 428/59 रकबा 1275 वर्गफुट भूमि को हकत्यागकर्ता मानाबाई साहू पति स्व. पठन लाल साहू अन्य-3 ग्राम साहू सदन के पास केलाबाड़ी दुर्ग से रजिस्टर्ड हकत्याग दिनांक 04/10/21 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड हकत्याग के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 15.11.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 23.10.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग 03 जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका डा. श्रीमती श्यामा अग्रवाल पति श्रीकृष्ण अग्रवाल निवासी मका. नं. 135 ख वार्ड नं. 13 शंकर नगर दुर्ग मौजा सिकोला प.ह.नं. 08 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 260/27 शा. 261/6 रकबा 0.021हे./ 2234 वर्गफुट भूमि को विक्रेता/ आममुख्तयार रमनदीप सिंह पिता राजवंत सिंह से दिनांक 17/09/21 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 08.11.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 18.10.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग 03 जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका डा. श्रीमती श्यामा अग्रवाल पति श्रीकृष्ण अग्रवाल निवासी मका. नं. 135 ख वार्ड नं. 13 शंकर नगर दुर्ग मौजा सिकोला प.ह.नं. 08 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 260/4 शा. 261/2 रकबा 0.020 हे./ 2176 वर्गफुट भूमि को विक्रेता/ आममुख्तयार श्रीमती शायरबाई जैन पति भीखम चंद जैन से दिनांक 08/10/21 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 08.11.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 18.10.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग 03 जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका महोबिया बिल्डर्स प्रा. लि. डायरेक्टर 1. प्रकाश महोबिया 2.संजय बुंदेला निवासी प्लाट नं. 15 कौशल निवास ब्लॉक नं.01 सुपेला भिलाई दुर्ग मौजा चिखली प.ह.नं. 11 रा.नि.मं. दुर्ग 1 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 420/1 का टु. रकबा 0.110 हे./ को विक्रेता बी.एण्ड.एस रियेक्टर्स प्रा. लि. डाय. हरबक्श सिंह बत्रा पिता स्व. गुरूबक्श सिंह बत्रा से दिनांक 21/10/21 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 11.11.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 26.10.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग 03 जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका नीता पटेल पति दिनेश भाई पटेल निवासी मलवीय नगर दुर्ग मौजा चिखली प.ह.नं. 11 रा.नि.मं. दुर्ग-1 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 420/1 का टु. रकबा 0.110 हे./ को विक्रेता/ बी.एण्ड.एस रियेक्टर्स प्रा. लि. डाय. हरबक्श सिंह बत्रा पिता स्व. गुरूबक्श सिंह बत्रा से दिनांक 21/10/21 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 11.11.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 26.10.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग 03 जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका महोबिया बिल्डर्स प्रा. लि. डायरेक्टर 1. प्रकाश महोबिया 2.संजय बुंदेला निवासी प्लाट नं. 15 कौशल निवास ब्लॉक नं.01 सुपेला भिलाई दुर्ग मौजा चिखली प.ह.नं. 11 रा.नि.मं. दुर्ग 1 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 420/1 का टु. रकबा 0.110 हे./ को विक्रेता बी.एण्ड.एस रियेक्टर्स प्रा. लि. डाय. 1. प्रकाश महोबिया2. संजय बुंदेला से दिनांक 21/10/21 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 11.11.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 26.10.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग 03 जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका महोबिया बिल्डर्स प्रा. लि. डायरेक्टर 1. प्रकाश महोबिया 2.संजय बुंदेला निवासी जवाहर नगर सुपेला भिलाई दुर्ग मौजा चिखली प.ह.नं. 11 रा.नि.मं. दुर्ग 1 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 420/1 का टु. रकबा 0.110 हे./ को विक्रेता बी.एण्ड.एस रियेक्टर्स प्रा. लि. डाय. हरबक्श सिंह बत्रा पिता स्व. गुरूबक्श सिंह बत्रा से दिनांक 21/10/21 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 11.11.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 26.10.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग 03 जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका महोबिया बिल्डर्स प्रा. लि. डायरेक्टर 1. प्रकाश महोबिया 2.संजय बुंदेला निवासी जवाहर नगर सुपेला भिलाई दुर्ग मौजा चिखली प.ह.नं. 11 रा.नि.मं. दुर्ग 1 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 420/1 का टु. रकबा 0.110 हे./ को विक्रेता बी.एण्ड.एस रियेक्टर्स प्रा. लि. डाय. हरबक्श सिंह बत्रा पिता स्व. गुरूबक्श सिंह बत्रा से दिनांक 21/10/21 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 11.11.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 26.10.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग 03 जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक कार्तिक कन्हैय्या पिता कन्हैय्या कोखन निवासी हिन्दुस्तान लाल पेठ कालोनी नं. 1 नांदगांव पोडे मौजा उरला प.ह.नं. 07 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 286/12 रकबा 0.011 हे./ को आममुख्यतयार राजेश सोनी पिता हनुमान प्रसाद सोनी से दिनांक 07/10/21 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 09.11.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 23.10.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग 03 जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती किरण साहू पिता/पति लिखेन्द्र साहू निवासी वार्ड नं. 57 संगम चौक उरला दुर्ग मौजा उरला प.ह.नं. 07 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 313/1 का टु. रकबा 1418 वर्गफीट को आममुख्यतयार नरोत्तम पिता दयाराम से दिनांक 07/10/21 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 09.11.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 23.10.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. पक्षकार का नाम ऑनलाईन ई-कोर्ट **महावीर्स दुर्ग ट्रेड सेंटर पार्टनर श्री विनोद बोहरा** रजिस्ट्रेशन नं. - 202110100400423

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक महावीर्स दुर्ग ट्रेड सेंटर पार्टनर श्री विनोद बोहरा निवासी शॉप नं. 9-10 लेक व्यूह अपार्टमेंट बांधा तालाब गंजपारा दुर्ग तह.व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम पुलगांव प.ह.न. 25 तह. व जिला दुर्ग	15006	0.716हे /7160 वर्गमीटर	वाणिज्यिक

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा/ आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 23.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. नं. 202110100400306

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक प्रमोद गुप्ता एण्ड सन्स (एसयूएफ) आ. आर.एल गुप्ता निवासी पद्मनाभपुर दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम अंजोरा प.ह.न. 28 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 442/13 रकबा 0.0500 हें/ 5600 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 20.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. नं. 202110100400466

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिक सविता महोबिया आ. प्रकाश महोबिया निवासी खेदामारा द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम खेदामारा प.ह.न. 16 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 986/25 रकबा 0.09 हें/ 9687 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 26.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यूज गैलरी

डॉ. सुब्बाराव के निधन पर मुख्यमंत्री बघेल ने गहरा शोक व्यक्त किया

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रख्यात गांधीवादी विचारक डॉ. एस. एन. सुब्बाराव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री बघेल ने कहा है कि डॉ. सुब्बाराव शांति के सिपाही थे। उन्होंने महात्मा गांधी के आदर्शों को आत्मसात करते हुए मानवता की सेवा की। डॉ. सुब्बाराव 13 वर्ष की उम्र में ही भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ गये थे। डॉ. सुब्बाराव ने चंबल के कुख्यात डकैतों से आत्मसमर्पण करवा कर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ा। उन्होंने नेशनल यूथ प्रोजेक्ट की भी स्थापना की थी।

महिला चेम्बर द्वारा व्यापार प्रदर्शनी

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के महिला चेम्बर की अध्यक्ष श्रीमती मधु अरोरा ने बताया कि महिला चेम्बर द्वारा महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु चेम्बर भवन में 30 फ्री स्टॉल दिये गये। आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2021, मंगलवार को सुबह 11 बजे से चेम्बर भवन बॉम्बे मार्केट में व्यापार मेला शुरू हुआ जिसका विधिवत् उद्घाटन महिला चेम्बर अध्यक्ष श्रीमती मधु अरोरा ने किया। महिला चेम्बर भिलाई इकाई ने भी रायपुर आकर व्यापार प्रदर्शनी में अपनी सहभागिता दी। प्रयास ग्रुप के बच्चों को भी प्रोत्साहन हेतु स्टाल दिया गया, उसमें उनके लगभग160 दर्जन दीया बिका, ताकि वे बच्चे भी दीपावली मना सके। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता रखने वालों ने एक्यूप्रेशर के स्टाल से मसाज मशीन, हॉट एवं कोल्ड बैग, एक्यूप्रेशर बॉल, हेड मसाजर आदि सामान की खरीदारी की। सांई गृह उद्योग के स्टाल में रागी पापड़, गेहूं, ज्वांर, भाकरवाड़ी, गेहूं क्रिर एवं विभिन्न प्रकार के अचार और किचन उपयोगी मसाले की खरीदारी की। बोनजेलो के बिस्किट खास-आटा, गुड़ बिस्किट लोगों के मन को भाया। इस अवसर पर महिला चेम्बर के साथ ही चेम्बर कार्यकारी अध्यक्ष, राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, मनमोहन अग्रवाल,प्रदेश प्रभारी आई टी सेल कैलाश खेमानी, सी.एम.सिंघवी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

राज्योत्सव स्थल पर उद्यानिकी की जीवंत प्रदर्शनी

रायपुर/नवप्रदेश। रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान में 28 अक्टूबर से एक नवम्बर तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव में उद्यानिकी विभाग द्वारा राज्य में उद्यानिकी की खेती को प्रोत्साहन दिए जाने हेतु किए जा रहे कार्यों की जीवंत प्रदर्शनी लगाई जाएगी। लगभग 3 हजार वर्ग फीट में उद्यानिकी विभाग बागवानी उत्पाद एवं एक जिला-एक उत्पाद का प्रदर्शन करेगा। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ कमलप्रीत सिंह ने कार्यक्रम स्थल का दौरा कर उद्यानिकी विभाग के स्टाल का मुआयना किया और अधिकारियों को बागवानी उत्पादों की प्रदर्शन के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश दी। उद्यानिकी विभाग द्वारा लगाई जा रही प्रदर्शनी में राज्य में चाय और काफी की खेती के लिए किए जा रहे कार्यों को भी क्षेत्रवार नक्शे के रूप में शानदार ढंग से प्रदर्शित किया है। यहां राज्य की कृषि जलवायु पर आधारित उद्यानिकी फसलों का जिलावार प्रदर्शन के साथ ही विभिन्न किस्म के आम, केला, पपीता, एप्पल, बेर आदि के पौधे, हनी बी, ड्रिप सिंचाई एवं छोटे तालाब में मखाने की खेती का प्रदर्शन किया गया है। स्टॉल में एग्जॉटिक सब्जी, फल एवम फूलों की प्रदर्शनी, बोनसाई पौधे, आरंग का मखाना, जशपुर का काजू, हाइब्रिड गेंदा, प्रसंस्कृत उत्पाद जैसे आचार, जैम, सॉस, स्क्वाश आदि का प्रदर्शन सह विक्रय भी किया जाएगा।

सालाना 64 करोड़ खर्च कर शिक्षा के लिए काम कर रहा एनएमडीसी

रायपुर/नवप्रदेश। वनवासी बहुल बस्तर संभाग के लोगों को उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए एनएमडीसी लगातार काम कर रहा है। संभाग के बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कोंडागांव जिलें में उत्कृष्ट शिक्षा मुहैया कराने के लिए एनएमडीसी अपने कुल सीएसआर बजट का करीब पैतीस फीसदी हिस्सा राज्य सरकार और जिला प्रशासन के माध्यम से खर्च करता है जो सालाना करीब 64 करोड़ के आसपास है।

प्रोजेक्ट क्षेत्र में स्कूली शिक्षा के लिए काम

एनएमडीसी द्वारा दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला प्रोजेक्ट क्षेत्र से घिरे गांव में 40 प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण कराए गए है जबकि 21 स्कूलों का रिनोवेशन और 10 स्कूलों में क्षमता विस्तार का कार्य एनएमडीसी द्वारा किया गया है। प्रोजेक्ट क्षेत्र के आसपास के गांव में एनएमडीसी द्वारा 9 आश्रम-छात्रावास का निर्माण किया गया है, जबकि 25 स्कूलों में किचन शेड और शौचालय का निर्माण तथा 41 स्कूलों के बाउंड्रीवांल का निर्माण भी कराया गया है।

बस्तर संभाग के विभिन्न एजुकेशन सिटी में योगदान

एजुकेशन सिटी गीदम में नक्सल हिंसा में मारे गए माता-पिता के बच्चों सहित संभाग के अति निर्धन बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए एनएमडीसी ने 24 करोड़ 50 लाख रूपए की लागत से आवासीय आस्था स्कूल की स्थापना की है और उसका संचालन कर रहा है। जबकि बीजापुर जिले में 30 करोड़ की लागत से एजुकेशन सिटी बनाई गई है। इसी तरह सुकमा एजुकेशन सिटी, नारायणपुर एजुकेशन सिटी और बस्तर एजुकेशन सिटी के निर्माण में भी एनएमडीसी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

स्कूलों के आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में योगदान

एनएमडीसी ने वर्ष 2014-15 से लेकर 2020-21 तक बस्तर संभाग में 79 स्कूल और हांस्टल का निर्माण कराया है जबकि इस दौरान 788 स्कूलों में पेयजल, शौचालय, अहाता निर्माण, पुस्तकालय निर्माण, अतिरिक्त भवन निर्माण, किचन शेड निर्माण आदि आधारभूत संरचनाओं के विस्तार में मदद की है। एनएमडीसी द्वारा नारायणपुर में करीब एक करोड़ की लागत से रामकृष्ण मिशन स्कूल के विवेकानंद विद्यापीठ का भवन निर्माण कराया गया है जबकि जिले में 390 लाख की लागत से 39 आश्रम-छात्रावासों का निर्माण कराए गए हैं।

आंगनबाड़ी में बच्चों के पोषण के लिए किये जा रहे प्रयासों को सराहा

■ छत्तीसगढ़ के अच्छे नवाचारों को देश भर में लागू करने सुझाव देंगे : ट्रिना

वर्ल्ड बैंक की टीम पहुंची छत्तीसगढ़

रायपुर/नवप्रदेश। बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने की लगातार वैश्विक स्तर पर कोशिश की जा रही है। इसमें वर्ल्ड बैंक भी लगातार सहयोगी भूमिका निभा रहा है। इसी उद्देश्य से विश्व बैंक की टीम ने सुपोषण अभियान का अध्ययन करने भारत के दो राज्य छत्तीसगढ़ और गुजरात चुने हैं। इस सिलसिले में सोमवार को वर्ल्ड बैंक की टीम ने दुर्ग जिले के पाटन ब्लाक के ग्राम कसही का दौरा किया। यहाँ उन्होंने बच्चों से और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा गर्भवती माताओं से चर्चा की। टीम में वर्ल्ड बैंक की साउथ एशिया हेड ट्रिना और सीनियर हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉ. दीपिका चौधरी शामिल थे। ट्रिना ने कहा कि हम सर्वोत्तम पद्धतियों को देश भर में लागू करने के लिए अनुशंसित करते हैं। छत्तीसगढ़ में हो रहे अच्छे काम को हम अपनी रिपोर्ट में देंगे। जिससे यहां के नवाचारों को देश भर के बच्चों के लिए लागू किया जा सके।

वर्ल्ड बैंक की साउथ एशिया हेड ट्रिना ने बच्चों से उनके खान-पान की पसंद के बारे में जानकारी लेते हुए पूछा कि चिक्की कैसी लगती है। इसके जवाब में सभी बच्चों ने चिक्की को बहुत बढ़िया बताया। उन्होंने मौजूद अधिकारियों से कहा कि कुपोषण दूर करने में प्रोटीन की बड़ी भूमिका है। बच्चों को मीठी चीजें पसंद होती हैं। यह बहुत अच्छा है कि बच्चों को उनके मनपसंद चिक्की के रूप में काफी मात्रा में प्रोटीन भी मिल रहा है। ट्रिना ने छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे इस अभियान की प्रशंसा की।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने उन्हें बताया कि हम गृह भेंट के दौरान लगातार अभिभावकों को बच्चों के कुपोषण से दूर रखने के उपाय और उससे बच्चों को होने वाले नुकसान की जानकारी देते रहते हैं। इस दौरान महिला बाल विकास विभाग संचालनालय और जिला कार्यालय के अधिकारीगण और पोषण विशेषज्ञ डॉ. जिला कार्यक्रम अधिकारी विपिन जैन ने बताया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बच्चों की खुराक पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों के पोषण को सामुदायिक गतिविधियों का हिस्सा बनाया गया है और इस जिम्मेदारी में पूरा गाँव अपनी सहभागिता करता है। स्मृति वाजपेयी भी मौजूद थे।

आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए तैयार की गई सुपोषण वाटिका भी कुपोषण मॉनिटरिंग के सॉफ्टवेयर के बारे में जाना-वर्ल्ड बैंक की टीम ने बच्चों के कुपोषण की मॉनिटरिंग के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर के बारे में भी जाना। विपिन जैन ने बताया कि आंगनबाड़ियों में हर माह 20 से 25 तारीख के बीच वजन त्यौहार होता है। इस दौरान बच्चों का वजन लेकर उनके पोषण की स्थिति जानते हैं। गंभीर कुपोषित बच्चों को तुरंत एनआरसी रिफर कर दिया जाता है। हर महीने वजन लेने की वजह से हम बच्चों की स्थिति को बेहतर तरीके से ट्रैक कर पाते हैं और हर कुपोषित बच्चे पर ज्यादा ध्यान रहता है।

वर्ल्ड बैंक की टीम ने आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए तैयार की गई सुपोषण वाटिका भी देखी। यहां फलदार पौधे और सब्जी लगाई गई हैं ताकि बच्चों के भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व मौजूद रहें।

संस्कृति मंत्री अमरजीत ने आदिवासी नृत्य महोत्सव आयोजन की तैयारी का लिया जायजा

■ दिया जा रहा है फाइनल टच

रायपुर/नवप्रदेश। 28 अक्टूबर से तीन दिवसीय भव्य राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के लिए साइंस कॉलेज मैदान में मुख्य मंच एवं शासकीय विभागों के स्टॉल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत आज राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के लिए तैयार हो रहे मुख्य मंच और शासकीय विभागों के स्टालों सहित अन्य व्यवस्थाओं की तैयारियों का जायजा लिया।

उन्होंने मुख्य समारोह स्थल के साथ-साथ विभागीय स्टालों में बिजली-पानी, साज-सज्जा सहित आगंतुकों के आने-जाने के व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था सहित सभी आवश्यक पहलुओं की बारीकी से निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आकर्षक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाना है। इस संबंध में सभी आवश्यक तैयारी पूर्ण कर ली जाये। इसके अलावा एक नवम्बर को 21वां राज्य स्थापना दिवस पर राज्य अलंकरण समारोह का भी आयोजन किया जाना है। इस दृष्टिकोण से सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मंत्री भगत ने पार्किंग व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा केंद्र, पुलिस नियंत्रण कक्ष सहित सभी जरूरी तैयारियां पूर्ण रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस मौके पर जनप्रतिनिधिगण सहित संस्कृति विभाग के संचालक विवेक आचार्य व संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

डीजीपी डीएम अवस्थी ने कड़े सुरक्षा के दिए निर्देश

डीजीपी डीएम अवस्थी ने भी राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य समारोह कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी में लगे समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को ड्यूटी में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतने की सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि समारोह में आए अतिथि, अंतरराष्ट्रीय व अंतर राज्य प्रतिभागियों एवं दर्शकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और उनसे विनम्रता पूर्ण व्यवहार करें ताकि किसी को दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान अपराधिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने और अंकुश लगाने के निर्देश दिए है।

छग कलाकारों के साथ फिलीस्तीन और श्रीलंका के दल ने किया फ्यूजन डांस

रायपुर/नवप्रदेश। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में भाग लेने रायपुर आए फिलीस्तीन और श्रीलंका के कलाकारों ने आज रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में छत्तीसगढ़ी गाने के साथ फ्यूजन डांस का वीडियो शूट किया। छत्तीसगढ़ी कलाकारों के साथ इन विदेशी कलाकारों के फ्यूजन डांस में विभिन्न संस्कृति का एक मेल दिखाई देगा। इसी तरह सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कई बेहतरीन अवसर 28 अक्टूबर से शुरू हो रहे तीन दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में देश-विदेश के कलाकारों को मिलेंगे। इससे मेहमान कलाकारों को न सिर्फ छत्तीसगढ़ की कला और परम्परा को करीब से जानने का मौका मिलेगा बल्कि यह मंच छत्तीसगढ़िया संस्कृति और परम्परा को ग्लोबल पहचान देगा।

200 करोड़ रूपए की लागत से होगा सड़कों का डामरीकरण

■ लोक निर्माण विभाग तैयारी में जुटा

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के परिपालन में लोक निर्माण विभाग द्वारा 200 करोड़ रूपए की लागत से राज्य की ग्रामीण अंचल की सड़कों का डामरीकरण कराया जाएगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। मरम्मत एवं डामरीकरण के योग्य सड़कों का चिन्हांकन प्रस्ताव पहले ही विभाग ने तैयार कर लिया था। इसमें विधायक गणों की अनुशंसा एवं प्रस्ताव को भी शामिल किया गया है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोक निर्माण विभाग को राज्य की ग्रामीण अंचलों की ऐसी सड़कें जिनके मरम्मत एवं डामरीकरण की जरूरत है, को सर्वोच्च प्राथमिकता से कराए जाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मरम्म्त एवं डामरीकरण की आवश्यकता वाली सड़कों के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए भी निर्देशित किया था। मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य की पुरानी सड़कों के मरम्मत एवं डामरीकरण के लिए 200 करोड़ के प्रस्ताव पर भी उन्होंने सहमति दे दी थी। बरसात के चलते कार्य शुरू नहीं हो सका था। लोक निर्माण विभाग शीघ्र ही सड़कों के मरम्मत एवं डामरीकरण का काम शुरू करने जा रहा है, ताकि सड़क आवागमन सुविधाजनक हो सके।

अल्प वर्षा के संकट से निपटने में हुई बड़ी सुविधा

■ कैम्पा मद से वनांचल में बड़े पैमाने पर हो रहा भू-जल संरक्षण संबंधी संरचनाओं का निर्माण

रायपुर/नवप्रदेश। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी नरवा विकास योजना के तहत वनांचल में निर्मित भू-जल संरक्षण संबंधी संरचनाओं के निर्माण से किसानों को अल्प वर्षा के संकट से निपटने में बड़ी और अच्छी सुविधा हो गई। इसके अंतर्गत वर्तमान में राज्य के 01 हजार 473 कृषकों को 01 हजार 289 हेक्टेयर भूमि के रकबा में सिंचाई सुविधा का लाभ हुआ और उन्हें अल्प वर्षा के कारण फसल उत्पादन में सूखे की स्थिति से निजात मिली।

जल स्त्रोतों, नदी-नालों और तालाबों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य के वन क्षेत्रों में कैम्पा मद के तहत भू-जल संरक्षण तथा संवर्धन के लिए बड़े तादाद में जल स्त्रोतों, नदी-नालों और तालाबों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री राकेश चतुर्वेदी ने बताया कि इस दौरान अल्प वर्षा के कारण वन मंडलवार बिलासपुर के कहुआ नाला में निर्मित स्टाप डेम से 15 हेक्टेयर, धरमजयगढ़ के सरिया नाला में निर्मित स्टाप डेम से 30 हेक्टेयर, जांजगीर-चांपा के कर्रा नाला में निर्मित स्टाप डेम तथा अर्दन डेम से 59 हेक्टेयर और कटघोरा के भैसपार नाला, पीपरभवना नाला, कडाल नाला तथा सुन्दरहा नाला में निर्मित स्टाप डेम से 105 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा का लाभ किसानों को मिला।

सिंचाई सुविधा

इसी तरह वन मंडलवार मरवाही के फुलवारी नाला में निर्मित स्टाप में से 14 हेक्टेयर, रायगढ़ के चक्रधर नाला तथा बंजारी नाला में निर्मित स्टाप डेम तथा अर्दन डेम से 47 हेक्टेयर, कवर्धा के कर्रा नाला में निर्मित एनीकट से 25 हेक्टेयर तथा चांदी नाला में निर्मित चेक डेम से 5 हेक्टेयर, राजनांदगांव के साल्हेकुसुमकसा नाला में निर्मित अर्दन डेम से 5 हेक्टेयर, बसेली नाला तथा कनेली नाला में निर्मित अर्दन डेम से 14 हेक्टेयर, बस्तर के भारजोडी नाला में निर्मित तालाबों से 4 हेक्टेयर तथा बीजापुर के थुनकीवागु नाला में निर्मित स्टाप डेम से 8 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा का लाभ मिला।

पेट्रोल-डीजल के बढ़ती दामों से जनता परेशान : वंदना

■ महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करने से डरते है नरेंद्र मोदी महंगाई की मार, जनता हो रही लाचार

रायपुर/नवप्रदेश। त्यौहार सिर पर है और महंगाई की मार बढ़ती ही जा रही है प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि पेट्रोल ,डीजल तथा रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बढोत्तरी पर पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि महंगाई का विकराल रूप से माताएँ एवं महिलाएं चिंतित एवं परेशान है त्योहारों के इस सीजन में रिकॉर्डतोड़ महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ कर रखा दिया है। पिछले साल त्योहारों पर कोरोना की मार थी तो इस बार बेलगाम महंगाई की मार त्योहारों पर दिखाई पड़ रही है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि कोरोनाकाल और उसके बाद पेट्रोल और डीजल का हर नए दिन के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचना महंगाई की आग में घी का काम कर रहा है।

पेट्रोल के दाम 106 रुपये लगभग हो गया है वही पेट्रोल 104 रुपये पहुंच गया पेट्रोल हो, डीजल हो या सीएनज-पीएजी हो, हर चीज़ का दाम बढ़ता जा रहा है. इन सबके महंगा हो जाने से ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो रहा है, जिसका सीधा असर गरीबों के जेब पर पड़ रहा है. बढ़ती महंगाई ने महिलाओं के किचन का बजट बिगड़ गया है।

दिपावली त्यौहार को लेकर पहले महिलाएं बहुत ही उत्साहित रहती थी .लेकिन बढ़ती महंगाई से महिलाएं हताश हो गई है आमदनी चौवन्नी और खर्च रूपये हो गया. मोदी जी के मेहरबानी से दिवाली, दिवाला बन गया है।

वंदना राजपूत ने कहा कि महंगाई ने जनता की जीना दूभर कर दी है और आम इंसान की कमर तोड़ दी है. बढ़ती महंगाई के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम हैं, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से हर चीज के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं.पहले मोदी सरकार महंगाई पर घंटों भाषण देते थे अब महंगाई पर चुप हो गये. नरेंद्र मोदी ही नही भाजपा के कोई भी नेता चाहे वो वित्त मंत्री सीता रमण हो या रमन सिंग हो या राज्यसभा सभा सांसद सरोज पांडे, राज्य मंत्री रेणुका सिंह सभी महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करने से डरते है।

जनसुनवाई — **कांकेर जिले से जनजातीय पदयात्रियों का समूह राज्यपाल सुश्री उईके से मिलने पहुंचा राजधानी**

इंडोर स्टेडियम पहुंचकर सुनीं समस्या, समाधान करने शासन को दिए निर्देश

रायपुर/नवप्रदेश। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके आज कांकेर जिले से पदयात्रा करते आ रहे आदिवासियों के समूह से मिलने बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम पहुंची। यह आदिवासियों का प्रतिनिधिमण्डल करीब दो हजार की संख्या में थे, जो कांकेर जिले के बंडापाल, कोलर परगना, रावघाट क्षेत्र के 58 ग्राम और 14 ग्राम पंचायतों से आए थे। यह प्रतिनिधिमण्डल अपने 58 ग्राम को कांकेर जिले से हटाकर नारायणपुर जिले में शामिल कराने का आग्रह कर रहे थे। राज्यपाल ने उनकी मांगों पर जल्द कार्यवाही करने का आश्वासन दिया और बताया कि जब मुझे ज्ञात हुआ कि आप पैदल चलकर राजधानी पहुंच रहे हैं तो मैंने कांकेर जिला प्रशासन से बात की। उन्होंने मुझे पत्र के माध्यम से सूचना दी है कि इन गांवों को नारायणपुर जिले में शामिल कराने के लिए, संबंधित गांव के नक्शे संलग्न कर शासन को पत्र लिख दिया गया है। उन्होंने इस संबंध में शासन के उच्च अधिकारियों को जल्द कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। प्रतिनिधिमण्डल ने बताया कि उनके क्षेत्र से कांकेर जिला 150 किलोमीटर दूर पड़ता है, जिससे जिला मुख्यालय जाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वहीं नारायणपुर जिला 10 से 20 किलोमीटर पड़ता है और आने-जाने में आसानी होती है। इसलिए वे नारायणपुर जिला में शामिल होना चाहते हैं।

राज्यपाल ने कहा कि जबसे मैंने राज्यपाल का पद संभाला तो यह प्रयास किया कि जो राजभवन आए उनकी समस्याओं को सुनूं और उन्हें दूर करने का प्रयास करूं। इसके पूर्व भी बीजापुर के ग्रामीण अपनी समस्या लेकर आए थे तो मैंने बस्तर प्रवास के दौरान संभाग के अधिकारियों को उनकी समस्या के समाधान करने के निर्देश दिए थे। इसके पूर्व अतिपिछड़ी जनजाति के लोग राजभवन आए थे और सरकारी पदों में भर्ती न होने की जानकारी दी थी। मैंने अधिकारियों को इस संबंध में तत्काल कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के 13 जिले और पांच जिले आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्रों में आते हैं। इन क्षेत्रों में आदिवासियों के हितों के संरक्षण का दायित्व राज्यपाल के ऊपर है। मैं इस नाते उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास करती रहती हूं। सुश्री उइके ने प्रतिनिधिमण्डल से आग्रह किया कि वे पैदल चल कर आए हैं, मगर मैंने जिला प्रशासन से बातकर वापस जाने के लिए बस और खाने-पीने का इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आदिवासियों से कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करने और टीका लगाने की भी अपील की।

राज्यपाल ने आदिवासियों की समस्याएं सुनीं और उनके साथ लोक नृत्य भी किया और वाद्य यंत्र भी बजाया। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव श्री अमृत कुमार खलखो तथा आदिवासी समाज के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

संपादकीय

पंजाब में कांग्रेस की राह मुश्किल

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आखिरकार अपनी अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर ही दिया। कैप्टन अमरिंदर सिह ने कहा है कि शीघ्र ही पार्टी का नाम तय कर लिया जाएगा। उन्होने एक पत्रकार वार्ता लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और अपने कार्यकाल के दौरान की उपलब्धियां गिनाई। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी इस बात का खुलासा नहीं किया है कि उनकी नई पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन करेगी या नहीं लेकिन इतना तो यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी बनने के बाद पंजाब में कांग्रेस की राह आसान नहीं रहेगी। बहुत संभव है कि पंजाब कांग्रेस के कई नेता भी पार्टी छोड़कर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी में शामिल हो जाएं, वैसे भी पंजाब में कांग्रेस के भीतर आंतरिक कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटवाने वाले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अब नए मुख्यमंत्री से भी संतुष्ट नहीं है। उन्होने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश कर अपनी नाखुशी पहले ही जाहिर कर दी थी। यह अलग बात है कि अब उन्होने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है लेकिन पंजाब विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू कब हत्थे से उखड़ जाएं इसका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसी स्थिति में पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी निश्चित रूप से क्षति पहुंचाएगी। गौरतलब है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले ही घोषणा कर रखी है कि वे नवजोत सिंह सिद्धू को किसी भी कीमत पर पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। अब देखना यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा के साथ किन शर्तो पर गठबंधन करते है। उन्होने पूर्व में कहा था कि यदि किसानों की समस्या का समाधान हो जाता है तो वे भाजपा के साथ गठबंधन कर सकते है। दरअसल कांग्रेस को और अकाली दल व बसपा से गठबंधन को चुनौती देने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को भाजपा से गठबंधन करना ही होगा। तभी वे अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी चुनौती दे पाएंगे। जहां तक किसान आंदोलन की बात है तो यह आंदोलन किसान संगठनों की हठधर्मिता के कारण ही लंबी खीच रहा है। केन्द्र सरकार तो किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत के लिए तैयार है लेकिन किसान संगठन तीनों कानूनों को वापस लेने की जिद पर ही अड़े हुए है, जबकि उन तीनों कानूनों के क्रियान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। इसके बावजूद किसान संगठन आंदोलन पर अडिग है इसलिए समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। यदि कैप्टन अमरिंदर सिंह इस मामले में मध्यस्थता करते है तो बीच का कोई रास्ता निकल सकता है। यदि ऐसा हुआ और किसानों को आंदोलन स्थगित हुआ तो कैप्टन अमिरदिर सिंह भाजपा से गठबंधन कर पंजाब में कांग्रेस को और कड़ी चुनौती देन में सफल होंगे।

विचार

नायक, खलनायक और खिलवाड़

मुंबई ड्रग्स केस बॉलीवुड के फिल्म जैसा हो गया है। क्रूज पर नशे की पार्टी का कथित आयोजन, एक नामचीन अभिनेता के बेटे की गिरफ्तारी, कुछ अन्य सितारों की संतानों तक जांच की आंच, छापेमारी करने वाले अधिकारी का हीरो बनना और अब उसे खलनायक साबित करने की कोशिश, यानी फंतासी के तमाम रूप इस पूरे घटनाक्रम में हैं। जाहिर है, इसने पूरे मामले को परिहास का भी विषय बना दिया है।

पिछले कुछ महीनों की घटनाएं देखें, तो महाराष्ट्र पुलिस की कई आंतरिक गड़बड़ियां उजागर होती हैं। ये समस्याएं अलहदा भी नहीं हैं। कुछ भ्रष्ट राजनेताओं और पुलिसकर्मियों का यह ऐसा नापाक गठजोड़ है, जो पूरे तंत्र की छीछालेदर करवा रहा है। यह गठबंधन वसूली करने के लिए चुपके से एक-दूसरे की मदद करता है। इसकी जड़ें काफी गहरी प्रतीत हो रही हैं। इसका नुकसान यह होता है कि बड़े से बड़ा अधिकारी भी, जो अपने महकमे का सबसे जिम्मेदारी भरा पद संभाल रहा होता है, इस दाग से मुक्त नहीं हो पाता। उसकी छवि भी धूमिल हो जाती है। उस पर भी तमाम तरह के आरोप उछाले जाते हैं। फिर चाहे वह न जाने कितने वर्षों से अपनी सेवा दे रहा हो! यह प्रवृत्ति वाकई गौर करने लायक है कि जो अधिकारी अपने काम-काज से समाज में आदर्श का एक मानक गढ़ता है, उसी पर इस तरह के आरोप लगते हैं कि न सिर्फउसकी, बल्कि पूरे विभाग की कार्यशैली शक के घेरे में आ जाती है। ऐसे मामलों में कितनी सच्चाई होती है, इसे गुजरात के इशरत जहां एनकाउंटर से भी समझा जा सकता है। इशरत जहां और उसके तीन साथियों को सन् 2004 में एक पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया था। तब इस मुठभेड़ को लेकर खूब हाय-तौबा मचाई गई। पुलिस के उस दावे को खारिज करने की पूरी कोशिश हुई कि मारे गए चारों लोग लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य थे और आतंकी वारदात की साजिश में शामिल थे। पर अब सीबीआई अदालत ने भी मान लिया है कि इशरत लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ी हुई थी। यहां इसका यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि कानून लागू करने वाली इन एजेंसियों में सब कुछ साफ-सुथरा है। भ्रष्टाचार यहां भी गहरी पैठ बना चुका है। मगर इसकी मूल वजह सरकार और सत्ता द्वारा असांविधानिक तरीके से अपनी ताकत का इस्तेमाल करना है। अपने हित के लिए राजनेता परदे के पीछे से अधिकारियों पर दबाव बनाने की हरसंभव कोशिश करते हैं। कुछ इसमें सफल होते हैं, तो कुछ को मुंह की खानी पड़ती है। समीर वानखेड़े के मामले में केंद्र और राज्य, दोनों दो दिशा में काम करते दिख रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि राज्य सरकार केंद्रीय एजेंसी के कामकाज में दखल देना चाहती है।

डॉ. संजय शुक्ला

आधुनिक संस्कृति की भीड़ में आदिवासी संस्कृति, लोककला और परंपराएं लुप्त होने लगी हैं। आदिवासी लोककला और संस्कृति के ह्रास के लिए प्रमुख कारण जनजातीय सामाजिक व्यवस्था, नक्सलवाद, शहरीकरण, आधुनिक सभ्यता का फैलाव और महंगाई है। नयी पीढ़ी शिक्षा और रोजगार के लिए शहरों का रूख कर रहा है हालॉकि यह उनकी मजबूरी और आवश्यकता भी है। आधुनिक शहरी परिवेश में आदिवासियों की नयी पीढ़ी शहरी और पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रहा है और अपनी परंपरगत सांस्कृति विरासत और लोककलाओं से विमुख होने लगा है। आदिवासियों की नयी पीढ़ी को ध्यान रखना होगा कि उनकी संस्कृति उन्हें विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष और सामान्य परिस्थितियों में समानता की प्रेरणा देता है। दुखदायी यह भी है कि आदिवासी अपनी संस्कृति और परंपरा को पूंजीवादी विकास के चंगुल से बचाने के जुगत में है क्योंकि यह उसके अस्मिता और अस्तित्व से जुड़ा मसला है। माओवाद तथा अलगाववाद हिंसा से प्रभावित राज्यों में आदिवासी नक्सली तथा चरमपंथियों व सुरक्षाबलों के बीच दो पाटों में पिस रहे हैं।

"राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव"

आदिवासी लोक संस्कृति को सहेजने का प्रयास

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदिवासी लोकनृत्य एवं संस्कृति को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से आगामी 28 से 30 अक्टूबर तक राजधानी रायपुर में तीन दिवसीय ''राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव'' का आगाज किया जा रहा है। इस महोत्सव में 7 देशों और 27 राज्यों के 1000 से भी ज्यादा आदिवासी कलाकार शामिल होंगे। आदिवासी संस्कृति और अस्मिता के प्रतीक इस तीन दिवसीय आयोजन का शुभारंभ एक अन्य आदिवासी बहुल राज्य झारखंड के अदिवासी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन करेंगे। निःसंदेह ऐसे आयोजनों से आदिवासी लोककलाओं एवं संस्कृति को संरक्षण और संवर्धन मिलेगा। गौरतलब है कि आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ राज्य की पहचान उसकी सदियों पुरानी आदिवासी संस्कृति और परंपरा भी है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक साल-सागौन से घिरी जंगलों में बसने वाले आदिवासियों का परंपरागत नृत्यों से आत्मीय लगाव रहा है। वस्तुतः आदिवासी सहज, सरल और उन्मुक्त जीवन जीने वाला समुदाय है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं के प्रति गहरी आस्था रखता है। देश का आदिवासी समाज वास्तव में एक ऐसा समाज है जिनकी पहचान सदियों पुरानी भाषा, लोककला, गीत और संगीत, संस्कृति, धार्मिक प्रथाएं, रीति-रिवाज, शिल्पकला, भित्ती चित्र, चित्रकला और अनेक परंपराएं रही हैं। आदिवासी नृत्य और संगीत के बेहद शौकीन होते हैं तथा वे इसे भगवान की देन मानते हैं, लोकनृत्यों से आदिवासी समाज का सदियों से आत्मीय जुड़ाव रहा है। देश के विभिन्न जनजाति क्षेत्रों में निवासरत आदिवासी समुदायों के नृत्यों का सिंहावलोकन करें तो बिहार में सरहुल, उड़ीसा में गरूड़ वाहन, दलखई, मध्यप्रदेश में गोंचो, सुआ, छत्तीसगढ़ में सैला, बाईसन हॉर्न, करमा, नागालैण्ड में बम्बू नृत्य, रेंगमा प्रमुख है। इसी प्रकार जनजातीय समुदायों के बैगा समुदाय में तपड़ी, सैला, भुंईया, गोंड़ समुदाय में डंडरिया, गोंचो, नवरानी, कोइसाबड़ी, भील समुदाय में दगला और पाली प्रमुख हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले जनजातीयों के कबीला नृत्य और कबीला संगीत आदिवासी संस्कृति की पहचान है। गौरतलब है कि जनजातीय समुदाय धार्मिक नृत्यों को देवता से आर्शिवाद प्राप्त करने तथा प्राकृतिक आपदा व महामारी जैसी विपत्ति से बचाव के लिए करते हैं इसमें सुआ, दशेरा, दोहा और सुमरन प्रमुख हैं। सामाजिक कार्यक्रमों तथा विभिन्न अनुष्ठानों में होने वाले नृत्यों में करमा, चेरिया, सुआ, रीना, सैला, बिलमा, सुरहुल, डंडरिया, दलखई, जदुर, धूर्मा, रेंगमा, माघा, पालि, गोमचो और तापड़ी लोकप्रिय हैं। बहरहाल इस आयोजन के परिप्रेक्ष्य में यह भी विचारणीय है कि आदिवासियों की सदियों पुरानी आदिवासी कला और संस्कृति अब क्षरण के दौर से गुजर रही है। दरअसल आधुनिक सभ्यता और विकास की अंधी दौड़ हमारी पुरानी चीजों को लगातार निगल रही है जिसकी चपेट में आदिवासी संस्कृति और लोककलाएं भी आने लगी हैं और वे अब मशीनी सभ्यता की भेंट चढ़ रही हैं। विगत दशकों में बढ़ते शहरीकरण और व्यवसायीकरण के चलते आदिवासी कला में परिवर्तन

देश के विभिन्न जनजाति क्षेत्रों में निवासरत आदिवासी समुदायों के नृत्यों का सिंहावलोकन करें तो बिहार में सरहुल, उड़ीसा में गरूड़ वाहन, दलखई, मध्यप्रदेश में गोंचो, सुआ, छत्तीसगढ़ में सैला, बाईसन हॉर्न, करमा, नागालैण्ड में बम्बू नृत्य, रेंगमा प्रमुख है। इसी प्रकार जनजातीय समुदायों के बैगा समुदाय में तपड़ी, सैला, भुंईया, गोंड़ समुदाय में डंडरिया, गोंचो, नवरानी, कोइसाबड़ी, भील समुदाय में दगला और पाली प्रमुख हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले जनजातीयों के कबीला नृत्य और कबीला संगीत आदिवासी संस्कृति की पहचान है। गौरतलब है कि जनजातीय समुदाय धार्मिक नृत्यों को देवता से आर्शिवाद प्राप्त करने तथा प्राकृतिक आपदा व महामारी जैसी विपत्ति से बचाव के लिए करते हैं इसमें सुआ, दशेरा, दोहा और सुमरन प्रमुख हैं।

आने लगा है फ्लस्वरूप आदिवासियों का सामाजिक और आर्थिक ढॉचा टूट रहा है। आधुनिक संस्कृति की भीड़ में आदिवासी संस्कृति, लोककला और परंपराएं लुप्त होने लगी हैं। आदिवासी लोककला और संस्कृति के ह्रास के लिए प्रमुख कारण जनजातीय सामाजिक व्यवस्था, नक्सलवाद, शहरीकरण, आधुनिक सभ्यता का फैलाव और महंगाई है। नयी पीढ़ी शिक्षा और रोजगार के लिए शहरों का रूख कर रहा है हालॉकि यह उनकी मजबूरी और आवश्यकता भी है। आधुनिक शहरी परिवेश में आदिवासियों की नयी पीढ़ी शहरी और पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रहा है और अपनी परंपरगत सांस्कृति विरासत और लोककलाओं से विमुख होने लगा है। आदिवासियों की नयी पीढ़ी को ध्यान रखना होगा कि उनकी संस्कृति उन्हें विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष और सामान्य परिस्थितियों में समानता की प्रेरणा देता है। दुखदायी यह भी है कि आदिवासी अपनी संस्कृति और परंपरा को पूंजीवादी विकास के चंगुल से बचाने के जुगत में है क्योंकि यह उसके अस्मिता और अस्तित्व से जुड़ा मसला है। माओवाद तथा अलगाववाद हिंसा से प्रभावित राज्यों में आदिवासी नक्सली तथा चरमपंथियों व सुरक्षाबलों के बीच दो पाटों में पिस रहे हैं। नक्सलियों तथा सुरक्षाबलों व पुलिस के दहशत के चलते बस्तर के अंदरूनी इलाकों में लोकनृत्यों के आयोजन में बड़ी तेजी से कमी आ रही है। इन क्षेत्रों में बसे आदिवासियों की माने तो गांवों में अब यदा-कदा ही लोकनृत्यों का आयोजन हो रहा है फ्लतः नर्तक दलों की संख्या लगातार घट रही है। नक्सलियों और सुरक्षाबलों के भय और दबाव के चलते बड़ी संख्या में आदिवासियों का पलायन अन्य राज्यों की ओर हो रहा है इस जद्दोजहद से भी जनजातीय कला और परंपराओं का क्षरण हो रहा है। महंगाई ने भी आदिवासी पारंपरिक लोकनृत्यों के कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नृत्यों के परिधान और साजो समान आदिवासियों की आर्थिक क्षमता की तुलना में महंगे होने लगे हैं परिणामस्वरूप आदिवासी तबका इस विधा से दूर हो रहा है। विचारणीय है कि जनजातियों की संस्कृति पर सबसे बड़ा हमला कार्पोरेट जगत और सरकारों द्वारा किया जा रहा है। आदिवासी सीधे तौर पर जल, जंगल और जमीन से जुड़े हुए हैं उनके हर परंपराओं में पेड़ों की अनिवार्यता है। आधुनिक विकास की भूख के चलते जंगलों व पहाड़ों को लगातार उजाड़ा और खोदा जा रहा है। इन परिस्थितियों में भी आदिवासी संस्कृति एवं लोककलाओं का क्षरण तेजी से जारी है। किसी समाज के लिए उसकी भाषा, संस्कृति, लोककला और परंपरा अमूल्य विरासत और पहचान होती है। बुद्धिजीवों तथा समाजशास्त्रियों का मानना है कि जो जनजातियां नाचती-गाती नहीं है उनकी संस्कृति मर जाती है, आदिवासी संस्कृति और लोककला हमें प्रकृति संरक्षण और जैव विविधता की सीख देती है इसलिए सरकार और समाज की जवाबदेही है कि वह देश के जनजातीय समुदायों के लोककलाओं और संस्कृति के संरक्षण तथा प्रोत्साहन के प्रति दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रतिबद्धता प्रदर्शित करें क्योंकि लोककला है तो आदिवासी है।

योगेश कुमार गोयल

चन्द्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि-विधान से अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजा-अर्चना की और तत्पश्चात राधाकुण्ड में स्नान किया। जब वे स्नान इत्यादि के बाद घर पहुंचे तो उस दम्पत्ति को अहोई माता ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने को कहा। साहूकार दम्पत्ति ने हाथ जोड़कर कहा, ''हमारे बच्चे कम आयु में ही परलोक सिधार जाते हैं। आप हमें बच्चों की दीर्घायु का वरदान दें।'' ''तथास्तु!'' कहकर अहोई माता अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय के बाद साहूकार दम्पत्ति को दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुखपूर्वक अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। देवी पार्वती को अनहोनी को होनी बनाने वाली देवी माना गया हैं।

अहोई अष्टमी: संतान की मंगलकामना का पर्व

भारत में हिन्दू समुदाय में करवा चौथ के चार दिन पश्चात् और दीवाली से ठीक एक सप्ताह पहले एक प्रमुख त्यौहार 'अहोई अष्टमी' मनाया जाता है, जो प्रायः वही स्त्रियां करती हैं, जिनके संतान होती है किन्तु अब यह व्रत निसंतान महिलाएं भी संतान की कामना के लिए करती हैं। 'अहोई अष्टमी' व्रत प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। स्त्रियां दिनभर व्रत रखती हैं। सायंकाल से दीवार पर आठ कोष्ठक की पुतली लिखी जाती है। उसी के पास सेई और सेई के बच्चों के चित्र भी बनाए जाते हैं। पृथ्वी पर चौक पूरकर कलश स्थापित किया जाता है। कलश पूजन के बाद दीवार पर लिखी अष्टमी का पूजन किया जाता है। फिर दूध-भात का भोग लगाकर कथा कही जाती है। आधुनिक युग में अब बहुत सी महिलाएं दीवारों पर चित्र बनाने के लिए बाजार से अहोई अष्टमी के रेडीमेड चित्र खरीदकर उन्हें पूजास्थल पर स्थापित कर उनका पूजन करती हैं। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को महिलाएं अपनी संतान की दीर्घ आयु तथा उनके जीवन में समस्त संकटों या विघ्न-बाधाओं से उनकी रक्षा के लिए यह व्रत रखती हैं। कुछ स्थानों पर इस दिन धोबी मारन लीला का भी मंचन होता है, जिसमें श्रीकृष्ण द्वारा कंस द्वारा भेजे गए धोबी का वध करते प्रदर्शन किया जाता है। अहोई माता के रूप में अपनी-अपनी पारिवारिक परम्परानुसार लोग माता पार्वती की पूजा करते हैं।

अहोई अष्टमी व्रत के संबंध में कुछ कथाएं प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कथानुसार प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके सात लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा-पोती हेतु मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। दैव योग से उसी जगह एक सेह की मांद थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाल सेह के बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा तत्काल मर गया। अपने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ परन्तु अब क्या हो सकता था? वह पश्चाताप करती हुई शोकाकुल अपने घर लौट आई। कुछ दिनों बाद

उसके बेटे का निधन हो गया। फिर अकस्मात दूसरा, तीसरा और इस प्रकार वर्ष भर में उसके सभी बेटे मर गए। महिला अत्यंत व्यथित रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस-पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। हां, एक बार खदान में मिट्टी खोदते हुए अनजाने में उससे एक सेह के बच्चे की हत्या अवश्य हुई है और तत्पश्चात मेरे सातों बेटों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर पास-पड़ोस की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है, उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। तुम उसी अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा-याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप धुल जाएगा। साहूकार की पत्नी ने वृद्ध महिलाओं की बात मानकर कार्तिक मास की कृष्णपक्ष की अष्टमी को उपवास व पूजा-याचना की। वह हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। बाद में उसे सात पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परम्परा प्रचलित हो गई।

अहोई व्रत के संबंध में एक और कथा प्रचलित है। बहुत समय पहले झांसी के निकट एक नगर में चन्द्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चन्द्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण सम्पन्न, सती साध्वी, शीलवन्त, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र-पुत्रियां थे परन्तु वे सभी बाल अवस्था में ही परलोक सिधार चुके थे। दोनो पति-पत्नी संतान न रह जाने से बहुत व्यथित रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन मन ही मन सोचते कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन-सम्पदा को कौन संभालेगा? एक बार उन दोनों ने निश्चय किया कि वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु-भक्ति में व्यतीत करें।

यही विचार कर दोनों अपना घर-बार त्यागकर वनों की ओर चल दिए। रास्ते में जब थक जाते तो रूककर थोड़ा विश्राम कर लेते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार धीरे-धीरे वे बद्रिका आश्रम के निकट शीतल कुण्ड जा पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। निराहार व निर्जल रहते हुए जब उन्हें सात दिन हो गए तो आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों से भोगना पड़ा है।

पाठकों की बात

पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

तर्जनी से हवा में

तर्जनी से हवा में लिखता था, नाम तुम्हारा अकेले में, ग़र कोई देख लेता, झट हाथ जेब में होते, पूछने पर बताता, हिसाब था गणित का, उन्नीस गुणा नौ, यह बात सिर्फतुम्हें पता था, तर्जनी से अब भी लिखता हूँ नाम तुम्हारा, पर जेब में नहीं जाते अब हाथ, कुल योग वही, हवा में खींची रेखा।

- शेष अमित

परिवार के साथ

परिवार के साथ धैर्य,प्यार कहलाता है! औरों के साथ धैर्य,सम्मान कहलाता है! स्वयं के साथ धैर्य,आत्मविश्वास कहलाता है! और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है! प्यार,सम्मान,आत्मविश्वास और आस्था के साथ। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त,स्वयं का ज़मीर होता है,जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर झंझोरता है।

- मोना सेन गुप्ता

खास पाती

आज फिर मोहब्बत में जल

आज फिर मोहब्बत में जल के देखते हैं चलो प्यार से कुछ कदम चल के देखते हैं । कुछ लम्हें बिता लें तुम संग ,बैठ लो जरा अरमानों को सीने में मचल के देखते हैं । रिश्तों में दरारें पड़ने लगी है आजकल चलो सबके दिलों को बदल के देखते हैं । महफ़िल में सजाई है जाम उनके नाम की दिल उनका आज जल जल के देखते हैं। जिंदगी ने कई गम दिये , उजालों के संग कुछ एक पल कोअंधेरों में चल के देखते हैं। वीर शहीदों की इस शहादत को यारो नेताओं के दिलों में मसल के देखते हैं । तमन्ना दिलों की दिल में ही रह गई अब चलो ख्वाहिशों के दायरे बदल के देखते हैं।**- मंजू चामयाल**

उन्हीं रस्तों पे भटकने के लिये

उन्हीं रस्तों पे भटकने के लिये आओ मिल जायें बिछड़ने के लिये आईना कहता है हर बार मुझे क्यूँ संवरते हो बिखरने के लिये कौन कमबख्त ग़म भुलाता है मैं तो पीता हूँ तड़पने के लिये अब सहारे की तवक्को भी नहीं गिरना लाजिम है सम्भलने के लिये घर बनाओ तो ज़रूर रखना वहाँ एक अदद कोना सिसकने के लिये इक तेरा जिक्र ही काफ़ी है मुझे अश्क आँखों से छलकने के लिये। **- अनु मित्तल इंदु**

सवाल और शिकायतें भी अपनों से

सवाल और शिकायतें भी अपनों से ही होती है, वरना दुनिया में हजारों करोड़ों हैं , जिनसे न किसी को कोई शिकायत होती है, ना जरूरत सवालों के जवाब की। और शिकायतें भी तब होती हैं जब कोई अपेक्षा होती है ! अपनेपन के खत्म होते ही समाप्त हो जाते हैं सारे सवाल, सारी शिकायतें। ज़िन्दगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मक़ाम , वो फ़िर नहीं आते .... यूँ ही एक ख़याल। **- संध्या शर्मा**

दिले पर्दे हटाने में बहुत ही

दिले पर्दे हटाने में बहुत ही देर लगती है। जुबां तक बात आने में बहुत ही देर लगती है। ये रिश्ता है बड़ा नाजुक सम्भल कर फैसले लेना, के दिल तक यार जाने में बहुत ही देर लगती है। खताओं पर ख़ता खुद कर, नही हमको सजा देना, मिले इन्दु , जमाने मे बहुत ही देर लगती है।

- रानी इन्दु

जीना इसी का नाम शरीर को चंगा

जीना इसी का नाम. शरीर को चंगा रखें दिमाग़ को ठण्ड़ा रखें जेब को गरम रखें ऑखों में शरम रखें जुबान को नरम रखें दिल में हरम रखें क्रोध पर लगाम रखें, व्यवाहर को साफ़रखें, होटों पर मुस्कुराहट रखें।

- गौरी पटले

ये पल मेरा ही हैं जो थाम लिया

ये पल मेरा ही हैं जो थाम लिया तेरे हाथों को इन हवाओं पे बस नहीं मेरा हक तो इन लवों पे जिन्हें खामोश सा कर दूं तू वक्त दर-दर भटकना छोड़ दें बस इस सांसों को मोड़ दो चाहकर भी न भूल सके सिलसिले मुलाकात के ये पल मेरा ही हैं जो थाम लिया।

-सोनू कुमार आकाश

साँसों की दिल/से हिफाज़त/ कीजिये

साँसों की दिल/से हिफाज़त/ कीजिये फिर मुहब्बत/से मुहब्बत/कीजिए माना बादल/में छुपा है/चाँद वो चाँद है छत/पर इबादत/कीजिये जिंदगी है/चार लम्हों/की सनम पास आने/की इनायत/कीजिए बिजलियों में/वो शरारत/है कहाँ इन निगाहों/से शरारत/कीजिये करते क्यों हो/प्यार को बद/नाम तुम इश्क़ की ना/यूँ तिजारत/कीजिये।

-आचार्य दिनेश भोपाली

QUIZ TIME

1) संसद ने 9 अगस्त, 2021 को संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया। इस संशोधन द्वारा अरूणाचल प्रदेश की किस अनुसूचित जनजाति को उस राज्य में चिन्हित अनुसूचित जनजातियों की सूची से हटा दिया गया है? (मिश्मी / अबोर / गारो)

2) किस देश ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षा ग्रहण की है?

3) विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएँ किस देश में है?

4) भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या है?

5) मिन आंग हलिंग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है?

Ramaquiz

उत्तरमाला- (1) अबोर (2) भारत (3) भारत (4) 8 (5) म्यांमार

आज का इतिहास

नई दिल्ली (वार्ता)। 1791- फ्रांस में महिलाओं के अधिकारों का घोषणापत्र और महिला नागरिक का प्रकाशन हुआ। 1835- माओरी प्रमुखों ने न्यूज़ीलैंड की स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। 1859 - स्पेन ने अफ्रीकी देश मोरक्को के खिलाफयुद्ध की घोषणा की। 1863 - जिनेवा में हुए कांफ्रेंस के तहत अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का गठन किया गया। 1868 - थॉमस एडीसन अपना पहला पेटेंट इलेक्ट्रिक वोट रिकॉर्डर बनाया। 1886 - फ्रांस ने दोस्ती के प्रतीक के रूप में अमेरिका को स्टैचु ऑफलिबर्टी भेंट किया। 1904 - पनामा और उरुग्वे ने राजनयिक संबंध स्थापित किये। 1913 - जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा की स्थापना हुई। 1915 - रिचर्ड स्ट्रॉस ने बर्लिन में अपनी टोनपोम एन अल्पाइन सिम्फनी का पहला प्रदर्शन किया। 1918 - चेकोस्लोवाकिया ने ऑस्ट्रिया- हंगरी से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। 1919 - अमेरिकी कांग्रेस ने संयुक्त राज्य में निषेधाज्ञा को मजबूत करते हुए राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के वीटो पर वोल्स्टेड अधिनियम पारित किया। 1921- एम्स्टर्डम की टस्किनस्की मूवी थियेटर का उद्घाटन। 1944 - दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के घटक बुलगारिया ने बिना शर्त सोवियत संघ के सामने समर्पण किया। 1954 - अमेरिकी लेखक अर्नेस्ट हेमिंग्वे को साहित्य का नोबल पुरस्कार मिला। 1977 - हांगकांग पुलिस ने बलों आईसीएसी के मुख्यालय पर हमला किया। 1995 - अजरबैजान के बाकू में हुई भीषण हादसे में 289 यात्रियों की मौत और 265 घायल।

53 गांवों को नारायणपुर जिले में शामिल कराने 250 किमी पैदल चलकर रायपुर पहुंचे ग्रामीण, सरकार ने कहा केन्द्र को भेजा जा चुका प्रस्ताव

मुख्यमंत्री बघेल ने अधिकारियों को केन्द्र से समन्वय करने के दिए निर्देश

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार छग शासन द्वारा कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक के रावघाट के इलाके के लोगों की भावनाओं और प्रशासनिक कामकाज की सहूलियत के मद्देनजर इस क्षेत्र के 53 गांवों को नारायणपुर जिले में शामिल किए जाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को पूर्व में ही भेजा जा चुका है। अंतागढ़ ब्लॉक रावघाट अंचल के ग्रामीणों की उक्त मांग पर मुख्यमंत्री शुरू से ही सहमत रहे हैं और इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भिजवाने के साथ ही समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित कर चुके हैं। बता दें कि मंगलवार को 250 किमी पैदल चलकर 53 गांवों के सैकड़ों ग्रामीण राजधानी रायपुर पहुंचे और राज्यपाल से मिलकर अपनी मांगें रखी। इसके बाद ही सरकार की तरफ से यह बयान आया है।

सरकार द्वारा जारी बयान में बताया गया है कि अंतागढ़ विधायक अनूप नाग के नेतृत्व में बीते दिनों रावघाट इलाके के ग्रामीणों के एक प्रतिनिधि मण्डल ने अपनी मांग के संबंध में मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और 53 गांवों को नारायणपुर जिले में शामिल करने का आग्रह किया था। प्रतिनिधि मण्डल ने मुख्यमंत्री को यह अवगत कराया था कि रावघाट अंचल के 53 गांव जिला मुख्यालय कांकेर से काफी दूर है। प्रशासनिक कामकाज के लिए कांकेर जिला मुख्यालय जाने-आने में काफी दिक्कतें होती है, जबकि इन गांवों की नारायणपुर जिला मुख्यालय से दूरी काफी कम है। रावघाट इलाके के इन गांवों को नारायणपुर जिले में शामिल किए जाने से यहां के लोगों को जिला मुख्यालय आने-जाने में सहूलियत होगी। सीएम ने ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल की मांगों पर सहमति जताते हुए राजस्व विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भिजवाने के निर्देश दिए थे।

केंद्र सरकार के हाथों में अधिकार : मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मण्डल को इस मौके पर यह भी भरोसा दिलाया था कि उनकी मांगों को मूर्तरूप देने में अपनी ओर से हरसंभव प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मण्डल को यह जानकारी भी दी थी कि नए ब्लाक का गठन एवं इसकी सीमा का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसलिए अंतागढ़ ब्लाक के रावघाट अंचल के गांवों को नारायणपुर जिले में शामिल किए जाने का निर्णय केन्द्र सरकार लेगी। केन्द्र सरकार को राज्य शासन द्वारा प्रस्ताव भेजा जाएगा और वहां से सहमति मिलते ही इसे पूरा किया जाएगा।

फंदे पर मिला पति का शव, दो मासूम बच्चों के साथ बीवी कुएं में कूदी, मौत

- राजनांदगांव के लालबाग थाना क्षेत्र की घटना, जांच में जुटी पुलिस

राजनांदगांव/नवप्रदेश। राजनांदगांव जिले में एक दुखद घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। दरअसल, लालबाग थाना क्षेत्र के ग्राम करमतारा गांव में मंगलवार देर शाम एक परिवार ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। पति ब्यारे में फांसी लगा ली तो पत्नी अपनी दो मासूम बच्चों के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि डोमन साहू का परिवार खेत में धान की मिंजाई करने गया था। घर पर डोमन, उसकी पत्नी वेदिका और दोनों बच्चे तीन और दो वर्ष की काव्या और पीयूष ही थे। गांववासियों की माने तो मृतक डोमन काफी सीधा-साधा था। उनके तीन साल के बेटे का कुछ दिन पहले निधन हो गया था, जिसके बाद डोमन उदास हो गया था। ऐसा माना जा रहा है कि डोमन ने अपने बेटे के शोक से दुखी होकर यह कदम उठाया होगा। पति के घर पर नहीं होने पर पत्नी जब बच्चों को लेकर खोजते हुए ब्यारे पहुंची तो शव लटका देखा। दुखी पत्नी ने भी दो बच्चों के साथ मौत को गले लगा लिया। परिजनों ने बताया कि कुएं के करीब 15 फीट नीचे पानी है। पानी निकालने के लिए दो फीट को होल को छोड़कर बाकी हिस्सा ढंका हुआ है। आशंका है कि पहले बच्चों को उसके बाद स्वयं कुएं में कूदी क्योंकि इतने छोटे से होल से सभी का एक साथ कूदना संभव नहीं है। कुआं छोटा होने के कारण शवों को निकालने में मशक्कत करनी पड़ी। कुंएं में सिर्फ काव्या का शव ही दिख रहा था। वेदिका, पीयूष, डोमन घर पर नहीं थे। उन्हें ढूंढ़ने गांव व परिवार के लोग निकले। कुछ पड़ोसी भागते हुए डोमन के ब्यारे में पहुंचे। जहां डोमन की लाश फंदे से लटकी हुई मिली। ब्यारा और घर की दूरी बमुश्किल आधा किमी है। ब्यारे में छांव के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई गई थी। उसी झोपड़ी में डोमन ने फांसी लगाई। पुलिस की टीम घटना के कारणों को लेकर मृतक के भाई से पूछताछ करती रही। हालांकि बेसुध हो चुके परिजन स्पष्ट रूप से कुछ बता नहीं पा रहे थे।

छोटे भाई की पत्नी ने देखा

घटना के वक्त परिवार के सभी सदस्य खेत में थे। शाम करीब 5 बजे डोमन के छोटे भाई की पत्नी घर लौटी। खेत से लौटते ही सबसे पहले घर के पीछे मौजूद कुएं में हाथ पैर धोने गई। लेकिन वहां पंप का पाइप नहीं दिखने से उसने भीतर झांका। तब कुएं के अंदर काव्या का शव उसकी डॉल (खिलौने) के साथ दिखा। काव्या के शव को देखकर वह चीखते हुए बाहर निकली, फिर आसपास के लोगों व परिवार के दूसरे सदस्यों को घटना की जानकारी हुई। डोमन के भाई से भी पुलिस ने पूछताछ की। लेकिन उसने भी कोई अंदाजा नहीं होने की जानकारी दी है।

एएसपी खुद परिजनों से ले रही हैं जानकारी

घटना की सूचना के बाद कोटवार ने घर को सीलबंद कर दिया था, उसके बाद लालबाग पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस व फारेंसिक के आने के बाद शवों को बाहर निकाला। फारेंसिक टीम ने डोमन के कमरे की तलाशी ली। जहां से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। देर रात तक पुलिस की टीम पूछताछ करती रही। एएसपी प्रज्ञा मेश्राम खुद परिजनों से जानकारी लेती रहीं।

शराबबंदी पर मौन है सरकार : रमन

पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह राजनांदगांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की आत्महत्या करने की घटना दुःखद बताया। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने ट्विट करते हुए लिखा- शराब के कारण हर दिन प्रदेश में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन गंगाजल की कसम खाने वाली मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार शराबबंदी पर मौन है। उन्होंने आगे लिखा कि- शर्मनाक है कि कांग्रेस के मंत्री, महिलाओं को शराब पीने की सीख दे रही हैं।

मौत पर राजनीति उचित नहीं : सुशील आनंद शुक्ला

कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने उल्टा बीजेपी पर जुबानी प्रहार करते हुए बीजेपी को नसीहत दे दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मौत की राजनीति बंद करे। परिवार की आत्महत्या निःसंदेह दुखद घटना है। परिवार ने किन परिस्थितियों में आत्महत्या की थी, उसकी जांच करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि सामूहिक आत्महत्या के विषय में प्राथमिक जानकारी पारिवारिक कलह बताई जा रही है। इस तरह पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह को इसमें राजनीतिक रोटी न सेंकने की नसीहत दिया।

प्रदेश में अब तक 2.26 करोड़ टीके लगाए गए

- 1.58 करोड़ लोगों ने पहला और 68.96 लाख ने लगवाए हैं दोनों टीके

रायपुर/नवप्रदेश। कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश में अब तक (25 अक्टूबर तक) दो करोड़ 26 लाख 48 हजार 773 टीके लगाए गए हैं। प्रदेश के एक करोड़ 57 लाख 53 हजार 074 लोगों को इसका पहला टीका और 68 लाख 95 हजार 699 को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में तीन लाख दस हजार 417 स्वास्थ्य कर्मियों, तीन लाख 18 हजार 653 फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 वर्ष से अधिक के 62 लाख 48 हजार 988 और 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 88 लाख 75 हजार 016 नागरिकों को कोरोना से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है। वहीं दो लाख 66 हजार 589 स्वास्थ्य कर्मियों, दो लाख 58 हजार 451 फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 वर्ष से अधिक के 34 लाख 82 हजार 134 तथा 18 से 44 आयु वर्ग के 28 लाख 88 हजार 525 लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना सक्रंमण से बचाव के लिए बालोद जिले में अब तक आठ लाख 27 हजार 822, बलौदाबाजार-भाटापारा में आठ लाख 32 हजार 488, बलरामपुर-रामानुजगंज में तीन लाख 99 हजार 760, बस्तर में छह लाख 59 हजार 055, बेमेतरा में पांच लाख 43 हजार 839, बीजापुर में एक लाख 56 हजार 042, बिलासपुर में 15 लाख 78 हजार 453, दंतेवाड़ा में दो लाख 46 हजार 771, धमतरी में सात लाख 58 हजार 773, दुर्ग में 16 लाख 28 हजार 067, गरियाबंद में तीन लाख 96 हजार 564, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में दो लाख 99 हजार 797, जांजगीर-चांपा में 12 लाख 18 हजार 040 और जशपुर में छह लाख 31 हजार 465 टीके लगाए जा चुके हैं। कबीरधाम जिले में कोरोनारोधी टीके की पहली और दूसरी, दोनों खुराकों को मिलाकर पांच लाख 68 हजार 682, कांकेर में पांच लाख 74 हजार 392, कोंडागांव में चार लाख 18 हजार 466, कोरबा में नौ लाख 45 हजार 041, कोरिया में पांच लाख दस हजार 146, महासमुंद में 11 लाख 66 हजार 612, मुंगेली में तीन लाख 89 हजार 535, नारायणपुर में 72 हजार 241, रायगढ़ में 21 लाख 42 हजार 995, रायपुर में 25 लाख 70 हजार 374, राजनांदगांव में 15 लाख 78 हजार 916, सुकमा में दो लाख 22 हजार 643, सूरजपुर में पांच लाख 79 हजार 028 तथा सरगुजा में सात लाख 32 हजार 846 टीके अब तक लगाए गए हैं।

लापता नाबालिग की नहर में मिली लाश शरीर पर चोट के निशान हत्या की आशंका

- नवागढ़ थाना क्षेत्र के पिपरा का मामला, जांच में जुटी पुलिस

जांजगीर चांपा/नवप्रदेश। नवागढ़ थाना क्षेत्र के नहर में लापता नाबालिक की लाश संदिग्ध हालत में मिली है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान है। इसकी वजह से हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है। पुलिस ने बताया कि मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने नहर में एक लाश बहने की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। इस दौरान मृतक की शिनाख्त भुनेश्वर कश्यप 16 साल के रूप में हुई। मृतक शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के गांव का रहने वाला है जो कि पिछले 4 महीने से अपने मामा घर नवागढ़ में रह रहा था। पूछताछ में परिजनों ने बताया कि सोमवार शाम को घर से निकला था देर रात तक वापस नहीं लौटने पर उसकी खोजबीन की जा रही थी। मृतक के शरीर में शर्ट नहीं था और पेंट कमर से निकला हुआ था, गले में चोट के निशान और नाक में भी चोट के निशान मिले। फिलहाल नवागढ़ पुलिस मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

कोरोना महामारी ने किया बेसहारा महतारी दुलार योजना से मिला सहारा

रायपुर/नवप्रदेश। कोरोना महामारी ने बालक सिद्धांत और संस्कृत से उनके पिता को छीनकर उनको बेसहारा कर दिया। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना इन बच्चों का सहारा बनीं है और उनके सुखद भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया है। अब ये दोनों बच्चे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे है और उन्हें हर माह 500 रूपये की छात्रवृत्ति भी मिलेगी।

बालक सिद्धांत और संस्कृत के पिता स्व. सौरभ तिवारी रायपुर में एक प्राईवेट जॉब करते थे और उनकी माता गृहणी है। कोरोना महामारी के दौर में विगत 14 अप्रैल 2021 को तिवारी की मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद तिवारी परिवार के घर की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई। पहले दोनों बच्चे प्राईवेट अंग्रेजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। पिता के मौत के बाद उनकी शिक्षा में बाधा आ गई। बच्चों की माता को इस बात की चिंता हो गई कि अब वह उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएगी। इसी दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पहल पर छत्तीसगढ महतारी दुलार योजना लागू की गई। जिसके तहत कोरोना से मृत छत्तीसगढ़ के निवासियों के बेसहारा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। बच्चों के नाना नरेश तिवारी ने बताया कि उन्हें इस योजना की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग में आवेदन किया और इन बच्चों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल चकरभाठा में कक्षा तीसरी में दाखिला मिल गया। अब ये बच्चें हसते खेलते नये स्कूल ड्रेस पहनकर स्कूल जाने लगे है और उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ा चुके है।

कुंभकारों, स्व सहायता समूहों, छोटे कारीगरों से नहीं लिया जाएगा टैक्स

कवर्धा/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप कलेक्टर रमेश शर्मा ने कबीरधाम जिले के मिट्टी के अजीविका से जुड़े कुंभकारों, स्व सहायता समूहों, छोटे कारीगरों से किसी भी कर या टैक्स नहीं वसूलने के निर्देश दिए है। कुंभकारों, स्व सहायता समूहों, छोटे कारीगरों को दीपावली एवं अन्य पर्व पर मिट्टी के बर्तन, दीये और अन्य साज सज्जा के सामग्री बनाते है, ऐसे सभी लोगों को राहत देने के लिए जिले के नगर पालिका एवं सीएमओ के साथ-साथ सभी अनुविभागीय अधिकारियों

(राजस्व), सभी तहसीलदारों, सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं जिले के सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिए है। दीपावली पर्व पर जिले में कुम्हारों और ग्रामीणों द्वारा मिट्टी के दिये बनाये जाते है तथा इन्हें बाजारों में विक्रय हेतु लाया जाता है। कलेक्टर ने कबीरधाम जिले के नगर पालिका एवं सीएमओ के साथ-साथ सभी एसडीएम, सभी तहसीलदारों, सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं जिले के सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि मिट्टी के दिये विक्रय किये जाने हेतु आने वाले इन ग्रामीणों और कुम्हारों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाये। कलेक्टर ने नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्र तथा ग्रामीण अंचलों में इनसे किसी भी प्रकार की कर वसूली नहीं करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने नागरिकों से भी अपील है कि मिट्टी के दिये के उपयोग को प्रोत्साहित करें। अपने-अपने नगरपालिका व नगर पंचायत क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मिट्टी के दीयों के विक्रय के लिए स्थान चिन्हांकित करेंगे, ताकि उक्त स्थान पर ग्रामीण जन बैठकर सुविधापूर्ण तरीके से मिट्टी के दीयों का विक्रय कर सकें। वहीं स्थानीय ग्रामीणों द्वारा तैयार किये गए मिट्टी के दीयों का उपयोग करने के लिए लोगां को प्रोत्साहित करेंगे, ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहने के साथ-साथ ग्रामीणों के आय में वृद्धि हो सके।

स्कूल भवन जर्जर, नई बिल्डिंग के लिए दर-दर भटक रहे ग्रामीण

■ **36 साल बना स्कूल भवन खंडहर में तब्दील, 7 साल से नए भवन की हो रही मांग**

गुंडरदेही/नवप्रदेश। गुंडरदेही ब्लॉक मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत लिमोरा के आश्रित ग्राम माड़ियापार के ग्रामीण व पालक सहित शाला विकास समिति क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिले के कलेक्टर को 7 साल से नए स्कूल भवन की मांग करते करते थक गए। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। शाला विकास समिति अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार साहू, ग्रामीण बुधारू राम, तामराज साहू, परदेशी राम, गंगा बाई, शैलेन्द्री बाई, ओमकुमारी साहू, रेमन साहू ने बताया कि ग्राम माड़ियापार में संचालित शासकीय प्राथमिक शाला भवन की हालात अति जर्जर हो जाने से स्कूल खंडहर में तब्दील हो गया है। आलम यह है कि बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ग्राम पंचायत लिमोरा पूर्व सरपंच कल्याण साहू ने कहा कि ग्राम मड़ियापार के जर्जर स्कूल भवन की स्थिति से शासन-प्रशासन को अवगत कराया दिया गया है। भवन के नवनिर्माण एवं मरम्मत के लिए तीन से चार बार आवेदन दे चुके है। परंतु 7 वर्ष बीत जाने के बावजूद अब तक भवन के लिए फंड जारी नहीं हुआ है।

अब करेंगे उग्र आंदोलन :

शाला विकास समिति एवं पालकों ने आक्रोशित होते हुए कहा कि प्रतिदिन जर्जर छत का मलबा नीचे गिर रहा है। ऐसे में कभी भी अचानक बड़ा हादसा हो सकता है। शासन प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद गांव में नए स्कूल भवन की स्वीकृति नहीं होना समझ से परे है। जबकि इस संबंध में आवेदन के साथ-साथ समाचार पत्र के माध्यम से भी शासन प्रशासन को जानकारी दे दिए हैं। अगर विभाग द्वारा जल्द ही नए स्कूल भवन के लिए प्रस्ताव नहीं बनाया गया तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन करेंगे, साथ ही स्कूल में तालाबंदी करेंगे।

36 साल पुराना है स्कूल भवन

शाला विकास समिति से प्राप्त जानकारी के अनुसार शासकीय प्राथमिक शाला मड़ियापार में सन 1985- 86 में स्कूल भवन का निर्माण किया गया था। वर्तमान समय में स्कूल भवन पूरी तरह जर्जर हो गया है। छत के मलबा के साथ-साथ छत में लगे रॉड भी नीचे तक जमीन को छूने लगा है। वहीं भवन जर्जर होने के कारण 52 बच्चे अतिरिक्त कक्ष में पढ़ने को मजबूर है।

राज्य स्थापना वर्षगांठ के अवसर पर जिले में होगा राज्योत्सव का आयोजन

राजनांदगांव/नवप्रदेश। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने कहा कि राज्य स्थापना वर्षगांठ के अवसर पर जिला स्तर पर 1 नवंबर को राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा। जिसमें विभिन्न स्थानीय कार्यक्रम किए जाएंगे। विभागों द्वारा योजनाओं की जानकारी के लिए स्टॉल लगाया जाएगा। उन्होंने राज्योत्सव कार्यक्रम के लिए तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी शासकीय भवनों में लाईटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने चिटफंड कंपनी के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने ऐसे चिटफंड कंपनियों की सम्पत्ति जो अनुविभाग पटवारी हल्के में है, उनकी सूची बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित कंपनी के संपत्ति की जानकारी पटवारी द्वारा एकत्रित कर गूगल शीट में 15 दिनों के भीतर तैयार करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सस्ती दवाई योजना शासन की प्राथमिक योजना है। निर्धारित सभी स्थानों में जल्द ही धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स खोलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दीपावली के अवसर पर कुम्हारों, स्व सहायता समूहों, छोटे कारीगरों से कोई भी कर या शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्हें पूर्ण सहयोग और समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा दीपावली के मौके पर विशेष रूप से तैयार की गई सामग्रियों की बिक्री के लिए स्टॉल, दुकानें लगाई जाती हैं। कुम्हार द्वारा दीये, दीप, मूर्तियों, स्वसहायता समूहों और छोटे कारीगरों द्वारा अनेक सजावटी सामग्री सहित अपने तैयार उत्पादों की बिक्री की जाती है। इनके द्वारा उत्पादित सामानों के विक्रय के लिए समर्थन देना हमारी जिम्मेदारी है। जिससे वे सुविधाजनक रूप से सामग्रियों का विक्रय कर सकें। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया।

अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती 1 को आएंगे कवर्धा

सहसपुर लोहारा (नवप्रदेश)। ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के शिष्य प्रतिनिधि दण्डी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ज्योतिर्मठ का छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है। शंकराचार्य जन कल्याण न्यास के प्रबंध ट्रस्टी चन्द्रप्रकाश उपाध्याय एवं शंकराचार्य जन कल्याण न्यास के मीडिया प्रभारी पंडित देव दत्त दुबे ने बताया कि 01 से 06 नवम्बर तक छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान कवर्धा जिले के विभिन्न स्थानों पर दर्शन, दीक्षा, प्रवचन देंगे एवं कवर्धा जिले के बहेराखार में 100 एकड़ भूमि पर बनने वाले शंकराचार्य महा गौ सेवालय के स्थल का निरीक्षण करेंगे।

युवक ने की खुदकुशी, भाजपा के धरना प्रदर्शन में बैठी मृतक की मां

बालोद/नवप्रदेश। गुरुर ब्लाक के ग्राम कोचवाही अमलीपारा में 21 अक्टूबर को शीत कुमार नेताम नामक एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। परिजनों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक किस्त के बाद बाकी राशि जारी न होने से हताश होकर शीत ने यह कदम उठाया। वहीं इस मामले ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है। जहां इस प्रमुख योजना पर भाजपा, कांग्रेसी सरकार पर क्रियान्वयन में लापरवाही का आरोप लगाती है तो वही कांग्रेस विधायक इसमें मृतक के परिवार को हर संभव मदद देने के लिए आगे आ गई है। उनके द्वारा अधूरे आवास को बनवाने का काम भी शुरू करवा दिया गया है। पर इधर मामले में सियासी हलचल उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई, जब बुधवार को गुरूर के अंबेडकर चौक में इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते हुए भाजपाइयों द्वारा 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग के साथ धरना दिया गया। तो वहीं इस धरने में मृतक की मां रूखमणी बाई भी शामिल हुई है। इस पर बालोद पहुंचे मृतक के छोटे भाई केशव कुमार ने मीडिया के जरिए भाजपाइयों पर आरोप लगाया कि उनकी मां को राजनीति करने के लिए भाजपाई घर से जबरदस्ती ले गए हैं। उन्हें फुसलाकर राजनीति की जा रही है। बेटे का कहना है कि मैं विधायक के आश्वासन से संतुष्ट हूं, उनके द्वारा अधूरे घर को बनाने के लिए काम भी शुरू कर दिया गया है। मटेरियल लाने के लिए मैं चारामा गया था। मेरे आते तक भाजपाई घर में आए और मां को अपने साथ ले गए। जबकि मैंने उन्हें मना किया था तो इधर मृतक की मां गुरुर के धरना प्रदर्शन में बैठी नजर आई। इस आरोप पर भाजपा के जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार ने कहा कि आरोप बेबुनियाद है।

इस तरह से बेटे को सामने करके राजनीति करनी अच्छी बात नहीं है। हमने उनकी मां को जबरदस्ती या बहला कर नहीं लाए हैं व स्वेच्छा से आई है। उनका एक बेटा दुनिया से जा चुका है और उसी को न्याय दिलाने के लिए हम धरना दे रहे हैं। कोचवाही से सिर्फ उनकी मां ही नहीं बल्कि 20 से 25 लोग धरने में शामिल हुए हैं। हमने किसी को जानबूझकर या जबरदस्ती नहीं लाया है।

मां ने किया जाने से इंकार

मीडिया से मुलाकात के बाद बेटा केशव कुमार वापस गुरुर गया और अपनी मां को घर चलने के लिए मनाया तो मां ने साथ चलने से इंकार कर दिया और धरने में ही बैठी रही। वही मृतक के छोटे ने थाना प्रभारी गुरूर के नाम से आवेदन देते हुए उनकी मां को भाजपाइयों द्वारा उठाकर ले जाने के संबंध में शिकायत की है। लिखित शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया है कि बुधवार को सुबह 8 बजे विधायक कार्यालय से एक व्यक्ति आया और घर के लिए निर्माण सामग्री छड़ सीमेंट खरीदने के लिए चारामा जाना है कहा। उक्त व्यक्ति के साथ में चारामा चला गया और जब वापस घर पहुंचा तो घर पर मेरी मां नहीं मिलने पर मैं आसपास पता करने से मुझे पता चला कि मेरी मां को मना करने के बावजूद भाजपा पार्टी के लोग मेरी मां को अपने साथ ले गए हैं। मेरे द्वारा आसपास मां को ढूंढने की कोशिश किया गया, नहीं मिलने पर मैं थाने पर इतला कर रहा हूं। इस तरह बेटे ने भाजपाइयों पर आरोप लगाते हुए थाने में लिखित आवेदन दिया है।

जमानत न मिले इसलिए रचे जा रहे राजनैतिक दबाव में षड़यंत्र : अनिल

■ **राजनैतक षड्यंत्र व इशारे पर लगातार दर्ज किए जा रहे हैं संगीन मामले**

कवर्धा। शासन-प्रशासन एवं कवर्धा विधायक व मंत्री एक तरफ शांति, सद्भाव और आपसी भाईचारा की बात करते हुए झंडा विवाद मामले में निष्पक्ष कार्यवाही का दम भर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ विजय शर्मा व अन्य लोगों के विरूद्ध झंडा विवाद मामले में झूठा अपराध दर्ज कर अब उनके खिलाफ राजनैतिक दबाव में ऐसा षणयंत्र रचा जा रहा है जिससे उन्हें न्यायालय से जमानत का लाभ न मिल सके। इसके लिए शासन, प्रशासन तथा यहां के विधायक न सिर्फसाम, दाम, दण्डभेद की नीति अपना रहे हैं वहीं प्रशासनिक अधिकारियों पर भी दबाव बनाया जा रहा है। उक्त बातें जिला भाजपा अध्यक्ष अनिल सिंह ने जारी बयान में कहीं। उन्होने कहा कि झंडा विवाद मामले में कवर्धा कोतवाली पुलिस ने भाजपा नेता विजय शर्मा व अन्य के खिलाफ धारा 148, 149, 153 क 188, 295, 332, 353, भादवि की धारा 109 व लोक संपत्ति की क्षति की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन्हीं धाराओं में झंडा विवाद मामलों में पूर्व में गिरफ्तार करीब 77 अन्य लोगों को न्यायालय से जमानत का लाभ मिल चुका है। जिसे देखते हुए इस बात की पूरी संभावना थी कि दूसरों की तरह विजय शर्मा व अन्य लोगों को भी मामले में जमानत का लाभ मिल सकता है। लेकिन विजय शर्मा व अन्य के मामले में जिस तरह का राजनैतिक षणयंत्र रचा जा रहा है उससे साफ जाहिर है कि शासन, प्रशासन तथा यहां के विधायक नहीं चाहते की उन्हें जमानत का लाभ मिले। यही वजह है कि गत 23 अक्टूबर को विजय शर्मा के विरूद्ध जिला खाद्य अधिकारी से दबाव पूर्वक एक अन्य मामला उनके खिलाफ कवर्धा कोतवाली में दर्ज करा दिया गया। जिसमें कोतवाली पुलिस ने भी राजनैतिक दबाव में विजय शर्मा व अन्य के विरूद्ध अपराध क्रमांक 824/2021 धारा 294, 506, 186, 34 ताहि 3-1 (एस) एसटी, एससी एक्ट 1989 के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया। जबकि जिला खाद्य अधिकारी ने जिस घटना को लेकर कवर्धा कोतवाली में मामला दर्ज कराया है वह घटना 21 सितंम्बर की बताई जा रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इतने दिनों तक जिला खाद्य अधिकारी ने मामला क्यों दर्ज नहीं कराया। निश्चित रूप से यह मामला द्वेश भावना पूर्वक सिर्फ इसलिए दर्ज कराया गया है क्योंकि विजय शर्मा को जमानत का लाभ न मिल सके।

प्रथम पृष्ठ का शेष...

महफूज नहीं 259 ...

बनने से गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल के संचालन से ग्रामीणों में यह आश बंधी थी कि अब उनके बच्चों को अपने गांव में ही व्यवस्थित भवन में शिक्षा मिलेगी। वे अपने बेहतर भविष्य की बुनियाद गढ़ सकेंगे। लेकिन क्या पता था, तकरीबन 50 लाख की लागत से बने शासकीय स्कूल भवन में इस कदर गुणवत्ता की अनदेखी की गई कि एक दो साल में ही भवन के अंदर एवं बाहर से भ्रष्टाचार की तस्वीर नजर आने लगी। दीवारों में दरार, खिड़की दरवाजे बेंच टूटने लगे। सरिया झांकने लगी। नतीजन प्राचार्य ने मरम्मत के लिए मांग पत्र भेजा। अधिकारी मांग पत्र की अनदेखी करते रहे। इस बीच पिछले 9 सालों में प्राचार्य 34 मांग पत्र बीईओ कटघोरा तो 5 मांग पत्र डीईओ कोरबा को लिख चुके हैं बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारियों की अपनी जिम्मेदारी का अहसास नहीं हुआ।

दफ्तर में बैठे डीईओ ...

क्षमता नजर नहीं आ रही। डीईओ ने अब तक सभी ब्लाकों के विशेष आवश्यकता वाले स्कूलों का निरीक्षण तक नहीं किया है । लिहाजा उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं है कि जमीनी स्तर पर स्कूलों को किन चीजों की आवश्यकता है।

कोवैक्सीन को ...

साल उनके पिता की मृत्यु हो गई थी लेकिन फ्लाइट उपलब्ध ना होने के कारण वह तब नहीं आ पाए थे. फिर जनवरी में जैसे ही उन्हें फ्लाइट मिली वह टिकट लेकर घरवालों के पास चले गए. पर तब से वहीं फंसे हैं. सुगाथन बताते हैं, मेरे पास सऊदी जाकर दोबारा कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने का विकल्प था. लेकिन दोबारा वैक्सीन लेने का मेरी सेहत पर क्या असर होता, इसको लेकर मैं उलझन में था. हालांकि अब वह यह खतरा उठाने के बारे में भी सोच रहे हैं.

वह कहते हैं, अगर कोवैक्सीन को मान्यता नहीं मिलती है तो मैं वहां जाकर मान्यताप्राप्त वैक्सीन लगवाने का खतरा उठाऊंगा.

41 गर्भवती महिलाओं ...

दर 2020 में क्रमशः मई, अगस्त और दिसंबर में 0.33 प्रतिशत, 0.88 प्रतिशत और 11.6 प्रतिशत और मई 2021 में यह 44.4 प्रतिशत पहुंच गई थी। जब राज्य ने इस साल अगस्त-सितंबर के दौरान सीरो प्रसार अध्ययन किया तो यह बढ़कर 82.61 प्रतिशत हो गया।

राज्य के अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला है राज्य में आबादी के एक बड़े हिस्से ने कोरोना का टीका लगवा लिया है और महामारी के खिलाफप्रतिरोध शक्ति प्राप्त कर ली है। राज्य की कुल 17 प्रतिशत आबादी अब भी संक्रमण से ग्रसित है।

आर्यन खान केस मे...

के बाद का वक्त दिया था। अमित देसाई के बाद मुनमुन धमेचा के वकील फिर एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह जिरह करेंगे। आज आर्यन खान जमानत पर फैसला मिलने की उम्मीद है। इस बीच शाहरुख खान के फैन्स आर्यन की रिहाई के लिए दुआएं कर रहे हैं। मन्नत के आसपास से फैन्स पोस्टर लेकर जुटे हैं। हालांकि पुलिस उन्हें कई बार हटा चुकी है।

दौरे से लौटते ही..

कहा है। उस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह आकलन भाजपा का है लेकिन यदि इतिहास के पन्ने को पलटा जाए तो इसमें कुछ और ही बात सामने दिखाई देगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी और जीएसटी

लागू किया तो देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। वैसे ही कोरोना काल में देश में वैक्सीन का उत्पाद हो रहा था और प्रधानमंत्री विदेशों में निर्यात कर रहे थे, जबकि यहां कोरोना से लोगों की मौतें हो रही थी, ऐसे पलों का देशवासी समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि सबसे असफल और जुमलेबाज प्रधानमंत्री के रूप में पीएम मोदी का नाम दर्ज होगा।

वहीं बढ़ते तेल की कीमतों पर कहा कि केंद्र सरकार इस पर नियंत्रण करने में असफल है। उन्होंने तीन काले कानून का हवाला देते हुए कहा की देश में स्टॉक करने की सीमा को खत्म कर दिया गया है। ऐसे में राज्य सरकार कोई कार्यवाही नही कर सकती और भारत सरकार भी केवल निर्देश ही दे सकती है। सीएम की माने तो यह सब कमोडिटी एक्ट के समाप्त करने के चलते हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस ...

मानती है कि यह एक स्पाईवेयर यानी जासूसी का सॉफ्टवेयर है और इसका इस्तेमाल फोनों को हैक करने के लिए किया जाता है. लेकिन कंपनी ने यह भी बताया कि वो इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ सरकारों और सरकारी एजेंसियों को ही बेचती है. भारत सरकार पर भी इसका इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं लेकिन सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया है.

चीफ जस्टिस के ...

चीफ जस्टिस राणा ने का कि वह सिर्फ इसलिए इस्तीफा नहीं दे सकते क्यों कि सड़कों पर लोग उनके खिलाफ हैं और मीडिया में उनके पद छोड़ने की मांग की जा रही है। राणा ने यह भी कहा कि वह संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करेंगे लेकिन पद नहीं छोड़ेंगे। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है।

माशिमं ने दिए मार्च ...

से रोक सकता है। वहीं इस बार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में होम असाइनमेंट के अंक भी जुड़ेंगे। प्राप्तांकों के आधार पर माशिमं की मुख्य परीक्षा 2021-22 में प्रत्येक विषय में 30 प्रतिशत अंक आंतरिक मूल्यांकन के रूप में मान्य किए जाएंगे।

NAME CHANGE

I Durga Rathor D/o Babu Lal R/o 228/A, Flat No-103, Happy Residency, Silicon City, Indore, Madhya Pradesh-452012, have changed my name And shall here after be known as.

Deepika Rathore

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भाटापारा, जिला बलौदाबाजार भाटापारा (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 202108210100005/अ-20(1)
ग्राम भाटापारा प.ह.नं. 11/2020-21

एतद् द्वारा सर्व साधारण जनता सूचित किया जाता है कि आवेदिका नीलम छाबड़िया पति दिलीप छाबड़िया निवासी बजरंग वार्ड भाटापारा, तहसील भाटापारा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा छ.ग. के द्वारा नगर भाटापारा में स्थित नजूल भूमि शीट नंबर 18-ब, प्लाट नंबर 27/2, खसरा नंबर 101 का क्षेत्रफल 161.80 वर्गमीटर, निर्धारण 23.40 रुपए भूमि नजूल अभिलेख में आवेदिका के नाम पर दर्ज है। अतः उक्त भूमि का पट्टा नवीनीकरण करते हुए भूमिस्वामी हक प्रदाय किए जाने हेतु मेंटनेंस खसरा की प्रति, शपथ पत्र, बैनामा की प्रति सहित आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी को दावा आपत्ति हो तो अपना दावा/ आपत्ति पेशी दिनांक 28.10.2021 तक न्यायालयीन अवधि में मेरे न्यायालय में स्वयं या वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त दिनांक तक प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 11.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

सील — अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भाटापारा

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भाटापारा, जिला बलौदाबाजार भाटापारा (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 202108210100009/अ-20(1)
ग्राम भाटापारा प.ह.नं. 11/2020-21

एतद् द्वारा सर्व साधारण जनता सूचित किया जाता है कि आवेदिका कमल छाबड़िया पिता लखनलाल उर्फ लख्मीचंद छाबरिया निवासी बजरंग वार्ड भाटापारा, तहसील भाटापारा, जिला बलौदाबाजार- भाटापारा छ.ग. के द्वारा नगर भाटापारा में स्थित नजूल भूमि शीट नंबर 18-ब, प्लाट नंबर 23/2, खसरा नंबर 101 का क्षेत्रफल 244 वर्गमीटर, निर्धारण 35.40 रुपए भूमि नजूल अभिलेख में आवेदक के नाम पर दर्ज है। अतः उक्त भूमि का पट्टा नवीनीकरण करते हुए भूमिस्वामी हक प्रदाय किए जाने हेतु मेंटनेंस खसरा की प्रति, शपथ पत्र, बैनामा की प्रति सहित आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी को दावा आपत्ति हो तो अपना दावा/ आपत्ति पेशी दिनांक 28.10.2021 तक न्यायालयीन अवधि में मेरे न्यायालय में स्वयं या वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त दिनांक तक प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 11.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

सील — अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भाटापारा

कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-02
शहीद स्मारक स्कूल के.के. रोड रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

नामांतरण प्र.क्र. 278/2021-22
वार्ड का नाम- हवलदार अ.ह. वार्ड-36

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि हवलदार अब्दुल हमीद स्थित मकान/ भूमि 37/एफ 449 जो कि निगम अभिलेख में श्रीमती मिथलेश कश्यप पति राजबहादुर कश्यप के नाम से दर्ज है, जिसको श्री प्रशांत कुमार कश्यप पिता राजबहादुर कश्यप ने रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन आयुक्त
जोन क्रमांक- 02
नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय, नगर पालिक निगम (जोन-4), रायपुर (छ.ग.)
प्रेस क्लब के बाजू, पानी टंकी मोतीबाग चौक

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 291/2021-22
वार्ड का नाम- पं. भगवतीचरण शुक्ल-57

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पं भगवतीचरण शुक्ल 57 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 57/76/57/280 बैरनबाजार जो कि निगम अभिलेख में श्रीमती रशीदा दानी पति स्व. शौकत मुर्तजा दानी के नाम से दर्ज है, जिसको श्री लुबना दानी पिता स्व. श्री शौकत मुर्तजा दानी ने मृत्यु प्रमाण पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। — जोन कमिश्नर, जोन क्र.-04, नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय अति. तहसीलदार दुर्ग 03 जिला दुर्ग (छ.ग.)
रा.प्र.क्र. अ-6/2021

उद्घोषणा

एतद् द्वारा सर्व साधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका सुनीता महाजन पिता भाऊदास श्यामकुंवर निवासी म.नं. 513, वार्ड क्र. 39 बैजनाथपारा दुर्ग मौजा उरला प.ह.नं. 07 रा.नि.मं. सिकोला तहसील व जिला दुर्ग में स्थित भूमि ख.नं. 845/277 का टु. रकबा 0.006 हे. भूमि को दानकर्ता भाऊदास श्यामकुंवर पिता स्व. सुदाराम श्यामकुंवर से दिनांक 18/10/21 को दान कर रजिस्ट्री दानपत्र निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त दानपत्र के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/ आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 09/11/21 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि समाप्त होने पर आपत्ति या दावा पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 23/10/21 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ता7र एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

जारी दिनांक 23/10/2021
पेशी दिनांक 09/11/2021

सील — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-4, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)
email ID: eocghbzone5@gmail.com

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा कालोनी गातापार जिला रायपुर में निर्मित दीनदयाल आवास योजनांतर्गत एलआईजी भवन क्र.-204 श्री प्रकाश कुमार ताम्रकार पिता स्व. श्री किशन लाल ताम्रकार के नाम पर इस कार्यालय के आबंटन आदेश क्र. 5425 दिनांक 19.05.2011 के माध्यम से स्ववित्तीय आधार पर आबंटित है। आबंटी द्वारा भवन का पूर्ण मूल्य जमा कर दिनांक 30.08.2014 को लीजडीड पंजीकृत करा लिया गया है। वर्तमान में आबंटी श्री प्रकाश कुमार ताम्रकार पिता स्व. श्री किशनलाल ताम्रकार, निवासी- शंकर नगर दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.) के द्वारा उक्त भवन को क्रेता श्री पुरूषोत्तम साहू पिता श्री मयाराम साहू निवासी- टेकारी पोस्ट टेकारी तहसील अभनपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) के पक्ष में विक्रय करना चाहते हैं। विक्रय अनुमति हेतु आवेदन पत्र, विक्रय इकरारनामा की छायाप्रति एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर उक्त भवन को क्रेता श्री पुरूषोत्तम साहू पिता श्री मयाराम साहू के पक्ष में विक्रय हेतु अनुमति प्रदान किया जाना है।

अतः किसी भी व्यक्ति शासकीय/ अर्धशासकीय संस्था निकाय बैंक अथवा वित्तीय संस्था इत्यादि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर लिखित रूप से प्रमाणित दस्तावेज सहित इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा नियत समयावधि पश्चात आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रक्षेत्र-4, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भाटापारा, जिला बलौदाबाजार भाटापारा (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 202108210100004/अ-20(1)
ग्राम भाटापारा प.ह.नं. 11/2020-21

एतद् द्वारा सर्व साधारण जनता सूचित किया जाता है कि आवेदिका रीता छाबड़िया पति कमल छाबड़िया निवासी बजरंग वार्ड भाटापारा, तहसील भाटापारा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा छ.ग. के द्वारा नगर भाटापारा में स्थित नजूल भूमि शीट नंबर 18-ब, प्लाट नंबर 27/1, खसरा नंबर 101 का क्षेत्रफल 156.20 वर्गमीटर, निर्धारण 22.60 रुपए है। जिसे पट्टा नवीनीकरण करते हुए भूमिस्वामी हक प्रदाय किए जाने हेतु मेंटनेंस खसरा की प्रति, शपथ पत्र, बैनामा की प्रति सहित आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी को दावा आपत्ति हो तो अपना दावा/ आपत्ति पेशी दिनांक 28.10.2021 तक न्यायालयीन अवधि में मेरे न्यायालय में स्वयं या वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त दिनांक तक प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 11.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

सील — अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भाटापारा

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड रायपुर
कार्यालय कार्यपालक निदेशक (वाणिज्य एवं नियामक मामले)
(दूरभाष – 0771–2574831, टेलीफैक्स–0771–2574698)

क्र. 02–12/वा0निया0मामले/वाहन/निविदा/ 580 — दिनांक. 25.10.2021

निविदा आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड रायपुर स्थित कार्यालय में कार्यपालक निदेशक (वा0 एवं नियामक मामले) हेतु इस कार्यालय के निविदा क्र. 02–12/वा0निया0मामले/वाहन/निविदा/580 दिनांक 25.10.2021 के तहत कार्यपालक निदेशक के कार्यालयीन कार्य हेतु 01 नग वाहन (कार) के अस्थाई अल्पकालीन अनुबंध लगातार दो वर्ष हेतु पंजीकृत उपयुक्त आपूर्तिकर्ताओं से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

क्र.	कार्य का नाम	संख्या	निविदा का मूल्य	बयाना राशि
1	वाहन	01	₹ 590 /– (500रू0+90रू0 जीएसटी, निविदा मूल्य वापसी योग्य नहीं)	9264 /- (नौ हजार दो सौ चौसठ रू0)
अ	निविदा क्रय करने की अंतिम तिथि व समय		15/11/2021, 17.00 बजे तक	
ब	निविदा जमा करने की तिथि व समय		16/11/2021, 11.30 बजे तक	
स	निविदा खोलने की तिथि व समय		16/11/2021, 15.00 बजे	
	नियम व शर्तें			

1इच्छुक फर्म उपरोक्त निविदा का क्रय कार्यपालक निदेशक(वाणिज्य एवं नियामक मामले) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, रायपुर के कार्यालय से उपरोक्त तिथि तक निविदा मूल्य रू. 590/– (वापसी योग्य नहीं) केवल डी.डी./स्थानीय बैंकर्स चेक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, जो प्रबंधक (क्षेत्रीय लेखाधिकारी – मुख्यालय) छ.रा. विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, रायपुर MANAGER (RAO-HQ), CSPTCL, Raipur को देय हो। 2नियत तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदा किसी भी परिस्थिति में मान्य नही होगी। 3निविदा एवं कार्य संबंधी जानकारी कार्यालयीन समय में निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। 4डाक द्वारा किसी भी प्रकार की देरी के बाबत् कंपनी जिम्मेदार नही होगी। एवं डाक हेतु उचित मूल्य देय होगा। 5निविदा उपरोक्त नियत तिथि व समय में निविदाकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी, जो कि उपस्थित होंगे। 6कार्य एवं निविदाकारों की अर्हता हेतु विस्तृत शर्ते निविदा प्रपत्र में उल्लेखित हैं। इच्छुक निविदाकर्ता को जीएसटी नंबर एवं ईपीएफ नंबर प्रस्तुत करना होगा। अमानत राशि आवश्यक है अन्यथा उक्त निविदाकर्ता की निविदा किसी भी स्थिति में खोली नहीं जावेगी।

सं.-30346/1

कार्यपालक निदेशक (वाणिज्य एवं नियामक मामले)
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांस0 कंपनी लिमिटेड रायपुर

बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक यशवंत धोटे* द्वारा बंसल स्कूल कैम्पस, अशोक विहार कॉलोनी, पण्डरी से मुद्रित कर ब्रिस्टल चौक छोटापारा रायपुर से प्रकाशित, प्रबंध संपादक - चन्द्रशेखर धोटे
फोन व फैक्स : 0771-4035602, RNI NO.CHHHIN/2012/41806/ डाक पंजीयन क्रमांक सी.जी./आर.वाई.पी. डीएन/40/2019-2021

न्यूज गैलरी

राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बालोद के खिलाड़ियों का दबदबा

बालोद/नवप्रदेश। 5वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर, जूनियर, सीनियर व मास्टर (महिला/पुरुष) पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2021 धमतरी जिले में 22 से 24 अक्टूबर तक आयोजित हुआ। जिसमें बालोद जिला से जीके फिटनेस हब जिम के सब जूनियर 53 किलो वर्ग में तुषार ठाकुर प्रथम रहे। 59 किलो वर्ग समूह में अनुराग साहू तृतीय, 74 किलो वर्ग में जोएल जोसेफ द्वितीय, सीनियर में अन इक्यूप्ड में शाहरुख खान 66 किलो में प्रथम व बेंच प्रेस में श्रावण कुमार तृतीय रहे। महिला सीनियर वर्ग बेंच प्रेस में प्रथम स्थान पूजा नायक रही व बेंच प्रेस स्ट्रॉन्ग गर्ल रही। इसी प्रकार जिम के ट्रेनर गौतम अलेंद्र भी सीनियर इक्यूप्ड में 66 किलो में 605 किलो वजन उठाकर प्रथम रहे व अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखा के स्ट्रॉन्ग मेंन ऑफ छत्तीसगढ़ रहे व ओपनिंग में बॉडी ब्यूल्डिंग का बहुत ही सुंदर गेस्ट पोज किया। बालोद जिला के सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। जिनमे उनके कोच गौतम अलेंद्र की अहम भूमिका रही और उनकी यही सोच है कि जो भी इच्छुक हो वो मिले और उनको तैयार करके बालोद जिला वा छत्तीसगढ़ स्तर पर भी नाम रोशन करे।

दुर्गंध से क्षेत्रवासी हलाकान, स्वास्थ्य को लेकर चिंता

ठेलकाडीह/नवप्रदेश। लगातार 2 सफ्ताह से चवेली (ठेलकाडीह) के आसपास रहने वाले ग्रामीण एक अजीब से दुर्गंध से परेशान है। दुर्गंध शाम होते ही सुबह 9 बजे तक घुटन वाली हो चुकी है जिसे लेकर सरपंच संघ अध्यक्ष नोमेश वर्मा ने इस पर कार्यवाही करने कलेक्टर के नाम पत्र सौंपा है। उन्होंने बताया कि लगातर कुछ दिनों से क्षेत्र में अजीब तरह का दुर्गंध फैल जाता है जिससे लगभग 5 से 7 पंचायत अत्यधिक प्रभावित है। इस दुर्गंध के कारण लोगों को घुटन होने लगी है तथा क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। यह दुर्गंध चवेली में बने हड्डी गोदाम जो कि वर्तमान में बंद हो चुके है, वहां से फैलने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि पिछले बार भी उस हड्डी गोदाम क्षेत्र में मुर्गे के अपशिष्ठ को संग्रहित कर जलाया जाता है, जिससे पूरे क्षेत्र में वायु प्रदूषित हो जा रहा है तथा लोगों को प्रदूषित वायु के कारण स्वास्थ्य बिगड़ने की आशंका है। उन्होंने आगे कहा यदि शिकायत के बाद भी किसी प्रकार की कार्यवाही नही होता है तो क्षेत्रवासियों के साथ जिला प्रशासन का घेराव किया जाएगा। आपको बता दे कि अभी हाल ही में ठेलकाडीह के पास के गांव गातापारकला में लगभग 80 लोग खराब खाद्य पदार्थ के सेवन के कारण जिला अस्पताल में भर्ती हुए थे।

''मेरा गांव, मेरा धरोहर'' कार्यक्रम कल

बेमेतरा/नवप्रदेश। आजादी की 75 वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के अवसर पर जिले मे विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 29 अक्टूबर को बेमेतरा के शासकीय पंडित जवाहर लाल नेहरु कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय मे ''मेरा गांव, मेरा धरोहर'' के थीम पर शिक्षा स्वास्थ्य तकनीकि, विज्ञान, खेल, साहित्य एवं कला क्षेत्र में देश/राज्य/क्षेत्रीय उपलब्धियों पर स्कूल/कॉलेज में चित्रकला आदि प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा।

मिट्टी के दीये बेचने वालों से कोई शुल्क न वसूला जाए: कलेक्टर

बेमेतरा/नवप्रदेश। दीपावली पर्व पर कुम्हार एवं अंचल के ग्रामीणों द्वारा मिट्टी से दीये बनाये जाते है तथा इस पर्व पर बाजारों में विक्रय हेतु लाया जाता है। दीये बेचने हेतु आने वाले ग्रामीणों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखा जावे। नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र में इनसे पसरा शुल्क के नाम पर किसी भी प्रकार की कर (टैक्स) की वसूली न की जावें। स्व सहायता समूहों, छोटे कारीगरों से कोई भी कर या शुल्क नहीं लेने साथ ही मिट्टी के दिए के उपयोग को प्रोत्साहित भी किया जावें। कलेक्टर बेमेतरा विलास भोसकर संदीपान ने इस आशय के निर्देश देते हुए सभी चार जनपद पंचायत बेमेतरा, बेरला, नवागढ़ एवं साजा के सीईओ, नगरीय निकाय बेमेतरा, नवागढ़, साजा, बेरला, परपोड़ी, देवकर, थानखम्हरिया, मारो के सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी को इसका विशेष ध्यान रखे जाने के निर्देश दिए है। इस संबंध में यदि किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर ने आम जनता से भी यह अपील की है कि वे दीपावली के मौके पर स्थानीय कारीगरों द्वारा तैयार सामग्रियां खरीद कर उन्हें भी अपनी खुशियों में शामिल करने की पहल करें।

छात्रों ने कबाड़ के जुगाड़ से बनाया शानदार वैज्ञानिक उपकरण

बेमेतरा/नवप्रदेश। बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत बेरला में स्कूल शिक्षा विभाग वि.ख. बेरला के द्वारा विकासखण्ड स्तरीय कबाड़ से जुगाड टीएलएम प्रतियोगिता व सांस्कृतिक मंच लोकार्पण समारोह में मुख्य आतिथ्य बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा शामिल हुए। छात्र/छात्राओं द्वारा कबाड़ से जुगाड के तहत बनाएं गए प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर विधायक आशीष छाबड़ा ने कहा कि प्रत्येक बच्चों में कहीं ना कहीं प्रतिभा छुपी होती हुई है। ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से उनकी प्रतिभा निखरकर सामने आती हैं। बच्चों को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि कोई भी चीज फालतू न हो, हर छोटी छोटी वस्तुओं को जुगाड़ कर कुछ न कुछ काम योग्य सामान बनाना चाहिए। कबाड़ से जुगाड़ कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को बहुत कुछ सीखने, समझने व जानने का अवसर प्राप्त होता है, विज्ञान बच्चों के लिए खिलौना है, बड़ों के लिए समझदारी, तो नहीं समझने वालों के लिए एक पहेली (जादू) है। हमारे आसपास रोज वैज्ञानिक गतिविधियां होती रहती हैं। इस ओर लोगों का बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है। इतना ही नहीं, अज्ञानता के कारण हम घरों से कबाड़ बाहर फेंक देते हैं, जबकि कबाड़ से जुगाड़ कर घर में बेकार पड़ीं वस्तुओं से हम स्टार, मॉडल समेत कई कलाकृतियां बना सकते हैं। वस्तुओं से बच्चों में वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए कबाड़ से जुगाड़ कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता हैं।

किसानों का धान खरीदने राज्य सरकार गंभीर नहीं : विष्णुदेव साय

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने एक नवम्बर से धान खरीदी समेत किसानों की अन्य समस्याओं पर ली प्रेसवार्ता

गरियाबंद/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ में धान की फसल अब तैयार हो गई है, लेकिन राज्य शासन द्वारा इस सत्र में इसकी खरीदी को लेकर किसी तरह की घोषणा नहीं किए जाने से किसानों में बेचैनी है। उक्त बातें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने गरियाबंद प्रवास के दौरान पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकारों से कही है।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष साय ने कहा कि प्रदेश में मुख्यरूप से 'महामाया' और 'सरना' दो किस्म के धान की खेती होती है। इसमें महामाया जहां 115 से 125 दिन में तैयार हो जाता है, वहीं सरना 130 से 145 का समय लेती है। प्रदेश में 15 जून से लेकर 30 जून तक फसल की बुवाई पूरी हो जाती है। ऐसे में महामाया धान की फसल की कटाई का काम जहां नवम्बर के पहले सप्ताह में पूरी हो जाएगी, वहीं सरना की कटाई भी पहले सप्ताह में ही शुरू हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा है कि किसानों को कटाई और मिजाई के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है, इसके साथ ही हिन्दुओं का प्रमुख त्यौहार दीपावली भी पहले सप्ताह में ही होने के कारण किसानों को पैसों की सबसे अधिक आवश्यकता इसी समय होती है। लेकिन अभी तक शासन द्वारा धान खरीदी का कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है।

भाजपा के शासन काल में लगातार एक नवम्बर से धान खरीदी के लिए हल्ला करने वाली कांग्रेस अभी तक इस मामले पर चुप्पी साधे हुई है जिससे किसानों का धैर्य अब टूटता जा रहा है। साय ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में इसी तरह धान के रकबे को गुपचुप ढंग से कम किए जाने की साजिश भी कांग्रेस सरकार रच रही है। अफसरों पर दबाव डाला जा रहा है, कर्मचारियों को जबरन धान का रकबा कम दिखाये जाने का निर्देश दिया जा रहा है। रकबे को काफी कम कर धान खरीदने के अपने कर्तव्य से प्रदेश सरकार बचना चाह रही है। कहा कि कांग्रेस द्वारा शुरू से ही अपने घोषणा पत्र के उलट केवल 15 क्विंटल धान खरीद कर किसानों के साथ धोखा कर रही है।

चुनाव के समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी घोषणा की थी कि किसानों का एक-एक दाना धान खरीदेंगे। तो अब किसानों का दाना-दाना खरीदने में आखिर भूपेश सरकार को क्या दिक्कत है? जबकि लगभग पूरा चावल केंद्र सरकार खरीदने तैयार है। ऐसा लगता है कि दुर्भावनावश यह सरकार प्रदेश की जनता को अन्य योजनाओं की तरह धान खरीदी में भी केंद्र की भाजपा सरकार के निर्णयों का लाभ नहीं लेने दे रही है।

उन्होंने कहा कि इसी तरह केंद्र सरकार लगातार फसलों के एमएसपी में वृद्धि करती जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। कांग्रेस सरकार अपने वादे के अनुसार धान का 25 सौ रूपये प्रति क्विंटल कीमत एकमुश्त तो नहीं ही दे पा रही है, ऊपर से केंद्र द्वारा हर सत्र में जो समर्थन मूल्य बढाया जा रहा है, उसका भी लाभ किसानों को नहीं दिया जा रहा है। पिछले सत्र में केंद्र ने धान के समर्थन मूल्य में करीब 300 रूपये की वृध्दि की है। इस अनुपात में प्रदेश के किसानों को अगले फसल के लिए न्यूनतम 2800 रूपये प्रति क्विंटल धान की कीमत एकमुश्त देने की घोषणा करना चाहिए। पत्रकारवार्ता के दौरान भाजपा ने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि धान खरीदी हर हाल में एक नवंबर से प्रारंभ करे।

बजरंग दल ने मंत्री अकबर को काला झंडी दिखा कर जताया विरोध

बेमेतरा/नवप्रदेश। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल छत्तीसगढ़ मंत्री अकबर के कवर्धा आने पर बेमेतरा में काला झंडी दिखाकर कर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया था, जिसकी सूचना प्रशासन को मिलते ही सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दिए व दुर्ग से आ रहे बजरंग दल प्रदेश संयोजक रतन यादव सहित उनके टीम को झंडा दिखाने के पूर्व ही धमधा थाना में गिरफ्तार किया गया था व बेमेतरा जिला अध्यक्ष आदित्य राजपूत जी को घर में ही पुलिस के नजर में रख लिए थे। जिसके बाद भी बेमेतरा में जिलें के बजरंगी प्रनीस रजक व बेरला निवासी जिला सह संयोजक नितेश सोनी, नरेश देवांगन सहित बजरंगियों के द्वारा छत्तीसगढ़ मंत्री मोहम्मद अकबर को काला झंडी दिखाया गया व जमकर नारेबाजी सहित विरोध प्रदर्शन किया गया और कहा कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हर परिस्थितियों में हिंदू हित के लिए लड़ाई ,लड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाये।

धान की बंपर पैदावार रख-रखाव के लिए किसानों की बड़ी चिंता

देवभोग/नवप्रदेश। पिछले वर्ष की तुलना इस बार क्षेत्र में धान की पैदावार काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। जहां मक्का लगाया जाता रहा अब उक्त भूमि पर किसानों धान की फसल उत्पादन किया है और धान की कटाई के साथ किसानों की धड़कने भी तेज हो रही है। क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से अब तक धान खरीदी के लिए तिथि तय नहीं हो पाया है। ऐसे में धान को महीना भर से अधिक समय तक रखरखाव कर सुरक्षित रखना किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इलाके के छोटे छोटे किसान तो जैसे तैसे कर अपने अपने खेत पर तालपत्री और

भी संसाधन जुटाकर रख लेंगे, लेकिन 15 एकड़ वाले किसानों को धान की रखवाली करना किसी इंतिहान से कम नहीं है। विकासखंड के 94 गांव के 22 हजार किसानों ने 16 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि पर धान की फसल लगाया है।

इसके अलावा बाहरा और टिकरा जैसे 500 से ज्यादा एकड़ की मक्का लगाने वाले जमीन पर धान उत्पादन किया है। जिसके मद्देनजर 10 प्रतिशत धान की कटाई होने के बात कहीं जा रही है। जहां प्रति एकड़ 14 क्विंटल धान की पैदावार होने का दावा भी किया जा रहा है। क्योंकि भले लेट लतीफही सही मगर बीते वर्ष की तरह इस बार भी बारिश ने किसानों का साथ दिया है। अधिकारियों की माने तो विकासखंड में 1200 एमएम वर्षा होना बताते हैं।

झेरिया यादव समाज युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष बने पुरूषोत्तम यादव

बेमेतरा/नवप्रदेश। झेरिया यादव समाज युवा प्रकोष्ठ बेमेतरा जिला के जिलाध्यक्ष बने पुरूषोत्तम यादव जिसकी घोषणा रविवार को नवागढ़ में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में झेरिया यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष जगनीक यादव ने किया। पुरूषोत्तम यादव को जिलाध्यक्ष नियुक्त करते ही प्रदेश पदाधिकारी, बेमेतरा जिला पदाधिकारी एवं ब्लॉक पदाधिकारी और जिले के समाज प्रमुख ने खुशी जाहिर करते हुए बधाई और शुभकामनाएं दिये। वहीं पुरूषोत्तम यादव ने प्रदेश अध्यक्ष जगनीक यादव एवं समाज प्रमुखों का आभार जताया।

3 सटोरियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

भाटापारा/नवप्रदेश। शहर पुलिस ने सट्टा खिलाते 3 अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर 3 लोगों को सट्टा पट्टी के साथ पकड़कर उनसे 2 हजार जब्त कर उनके खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की है। शहर थाना प्रभारी महेश ध्रुव ने बताया कि सोमवार को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सदर बाजार, बस स्टैंड में घेराबंदी कर आरोपी वेद प्रकाश सेन पिता शिव सेन निवासी दतरेंगी, गोपी वर्मा पिता सेवक निवासी देवरी और जगदीश बजाज पिता श्रीराम निवासी महासती वार्ड भाटापारा को पकड़ा।

सिंगारपुर में पौधों का हुआ वितरण

भाटापारा/नवप्रदेश। ग्राम सिंगारपुर में वृद्धों एवं असहाय लोगों के लिए चलाए जा रहे वृद्ध स्व सहायता समूह को जो हेल्पएज इंडिया द्वारा संचालित है एवं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की संस्था बिहान द्वारा अनुमोदित है जिसमें लगभग 250 हितग्राही वृद्ध महिला- पुरुषों को विभिन्न प्रकार के फलदार पौधे चीकू, संतरा, मौसम्मी, आम एवं अमरुद के पौधे व्यक्ति 5 पौधे वितरित किए गए।

स्कूलों में गुजराती भाषा का प्रसार आदेश के खिलाफ क्रांति सेना

भाटापारा/नवप्रदेश। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के समस्त स्कूलों में एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब का गठन कर गुजराती भाषा एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए जारी आदेश पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने इसकी कड़ी निंदा की है। इस आदेश को तुगलकी फरमान बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। राज्य शासन के द्वारा सभी स्कूलों को आदेश जारी कर गुजरात की संस्कृति, वर्णमाला कहावतें, लोक कला, लोक साहित्य, इतिहास एवं संस्कृति साहित्य की जानकारी विद्यार्थियों को पढ़ाने का आदेश जारी किया है।

14 हजार 932 लोगों ने किया आवेदन

बेमेतरा/नवप्रदेश। बेमेतरा जिले में भूमिहीन कृषि मजदूरों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत लाभ दिलाने के लिए पंजीयन तेज़ी से किया जा रहा है। पंजीयन शुरू होने से 25 अक्टूबर तक बेमेतरा जिले के कुल 14 हजार 932 हितग्राहियों ने भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में पंजीयन के लिए आवेदन किया है।

बच्चों और किशोर-किशोरियों को पिलाया जाएगा स्वर्ण प्राशन ड्रॉप

- **आयुर्वेद चिकित्सा एवं बोन मिनरल डेंसिटी जांच शिविर में होगी सेहत की बात**

राजनांदगांव/नवप्रदेश। आयुर्वेद अमृत है इसे अपनाइए और स्वस्थ जीवन पाइए। इस आशय पर जोर देते हुए शहर के मनकी स्थित छत्तीसगढ़ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल एवं श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा के संयुक्त तत्वावधान में तेरापंथ भवन में आयुर्वेद चिकित्सा एवं बोन मिनरल डेंसिटी जांच शिविर लगाया जाएगा।

शिविर में आने वाले लाभार्थियों को वरिष्ठ एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क चिकित्सा परामर्श दिया जाएगा। साथ ही विभिन्न रोगों से पीड़ित लाभार्थियों की राहत के लिए विभिन्न प्रयास किए जाएंगे।

शहर के रामाधीन मार्ग स्थित तेरापंथ भवन में 29 अक्टूबर को विशाल आयुर्वेद चिकित्सा एवं बोन मिनरल डेंसिटी जांच शिविर सुबह 10 से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा।

कार्यक्रम अवसर पर निःशुल्क स्वर्ण प्राशन संस्कार भी किया जाएगा, जिसमें जन्म से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों और किशोर-किशोरियों को स्वर्ण प्राशन ड्रॉप पिलाया जाएगा। आयुर्वेद चिकित्सा एवं बोन मिनरल डेंसिटी जांच शिविर में शुगर तथा महिलाओं से संबंधित बीमारियों की जांच की जाएगी। साथ ही बवासीर, पेट के रोग, कान-नाक-गला रोग, त्वचा रोग, जोड़ों की समस्या, अनिद्रा, तनाव व अन्य बीमारियों के उपचार के लिए भी उचित परामर्श दिया जाएगा। निःशुल्क योग एवं आहार.विहार परामर्श भी दिया जाएगा।

इस संबंध में छत्तीसगढ़ आयुर्वेद कालेज राजनांदगांव की प्राचार्य डा. वर्षा पी. वंजारी ने बताया, शिविर में वरिष्ठ एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा लाभार्थियों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श दिया जाएगा। अत्याधुनिक मशीन (बीएमडी) द्वारा हड्डियों की जांच की जाएगी।

कलिंगा विश्वविद्यालय ने पांच गांवों को लिया गोद

रायपुर/नवप्रदेश। कलिंगा विश्वविद्यालय हमेशा सामाजिक सुधारों और विभिन्न सामाजिक परियोजनाओं के विकास के पक्ष में कार्य करने की आकांक्षा रखते है। इस उद्देश्य के साथ हमने इन गांवों के युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर के लिए प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने के लिए पड़ोसी गांवों में से पांच गांव (कोटनी, कुहेरा, पलौद, तांडुल, कोटराभाठा) का चयन किया है।

इसी मिशन के साथ आज कलिंगा विश्वविद्यालय ने बैठक के दौरान जन शिक्षण संस्थान योजना, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत कलिंगा विश्वविद्यालय ने पांच गांवों को गोद लेते हुए सामाजिक विस्तार के रूप में कौशल भारत पहल का आयोजन किया।

उद्घाटन समारोह में ठाकुर राम सिंह मुख्य चुनाव आयुक्त, अतुल सिंह निदेशक जन शिक्षण संस्थान रायपुर, कलिंगा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. आर श्रीधर, रजिस्ट्रार डॉ. संदीप गांधी, नवाचार और ऊश्मायन प्रकोष्ठ के निदेशक डॉ. मोनिका सेठी शर्मा, पांच गांव (कोटनी, कुहेरा, पलौद, तांडुल, कोटराभाठा) के सरपंच प्रतिनिधि, कलिंगा विश्वविद्यालय के डॉ. सुषमा दुबे, डॉ. सुनिल कुमार, डॉ. स्मिता प्रेमानंद और विभ्न्नि संकाय के सदस्य भी शामिल थे। वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय के सहायक प्राध्यापक सुश्री श्रिया त्रिपाठी द्वारा प्रख्यात अतिथियों का स्वागत किया गया।

कलिंगा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. आर श्रीधर ने कौशल विकास की आवश्यकता पर बात की। हर स्तर पर कौशल को बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि यह आवश्यक है कि नौकरी तलाशने वाले हमेशा अपने कौशन को लगातार बढ़ाने का प्रयास करें। कलिंगा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. संदीप गांधी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि गांव के युवाओं के विकास और रोजगार के लिए कौशल विकास की आवश्यकता है। कौशल विकास के इस पहल में युवा सक्रिय रूप से रूचि ले और अपनी कौशल क्षमता को विकसित करें। विशेष अतिथि श्री ठाकुर राम सिंह (सेवानिवृत्त आईएएस.), मुख्य चुनाव आयुक्त ने केंद्र सरकार, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया।

श्री अतुल सिंह निदेशक जन शिक्षण संस्थान रायपुर ने इस तरह के अभियान का हिस्सा बनने के लिए कलिंगा विश्वविद्यालय प्रबंधन की प्रशंसा की और विभिन्न गांवों के सरपंचों को युवाओं को इस पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कहा। विभिन्न गांवों के सरपंच कलिंगा विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा अपने युवाओं के कौशल स्तर को विकसित करने में मदद करने के लिए शुरू की जाने वाली विभिन्न पहलों के बारे में जानकर खुश थे।

वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय की अधिष्ठाता डॉ. मोनिका सेठी शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि पांच गांव के सरपंचों और बाहर से प्रतिष्ठित मेहमानों की उपस्थिति सराहनीय रहा। इसी प्रकार कलिंगा विश्वविद्यालय युवाओं के कौशल विकास एवं रोजगार को बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, रायपुर मण्डल क्रमांक 1 (छत्तीसगढ़)

निविदा सूचना
(द्वितीय आमंत्रण)

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है :-

एन.आई.टी. क्र./सिस्टम टेन्डर नं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत रु. (लाख में)
136/85449	S.R./M.O.W. Work of Govt Residential & Non. Residential Building At Sub Division Tilda, Distt.-Raipur (C.G)	रु. 30.00 लाख

निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि दिनांक 10.11.2021 समय सायं 5.30 बजे तक

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी https://eproc.cgstate.gov.in पर देखी जा सकती है एवं डाउनलोड की जा सकती है।

जी-64741/3

अधीक्षण अभियंता
लो.नि.वि. रायपुर मण्डल क्र.-1
रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग, विधानसभा संभाग, रायपुर

क्रमांक-5899/NIT-10/2021-2022/व.ले.लि. दिनांक 23/10/2021

छत्तीसगढ़ राज्य में बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किए गए ''ई'' श्रेणी पंजीयन में पंजीकृत ठेकेदारों से निविदा प्रपत्र AE में प्रतिशत दर पर ब्लाक स्तर पर निविदा आमंत्रित की जाती है। प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि. रायपुर छ.ग. द्वारा जारी सड़क SOR 01.01.15 लागू।

प्रथम आमंत्रण

निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :- 11/11/2021 अपरान्ह 5.30 बजे तक
निविदा प्रपत्र प्रदाय करने की तिथि :- 15/11/2021 अपरान्ह 5.30 बजे तक
ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत निविदाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- 17/11/2021 अपरान्ह 5.30 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि :- 18/11/2021 पूर्वान्ह 11.30 बजे तक

एनआईटी क्र. निविदा क्र.	कार्य का नाम/ NoOfCalls	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में) अमानत राशि (रु.में)
10 T0086	मु.सु.स. योजना के अंतर्गत धरसींवा ब्लाक के तहत दया नगर मुख्य मार्ग पानी टंकी की ओर (लक्ष्मी यादव के मकान से देवांगन किराना स्टोर) सी.सी. पहुंच मार्ग का निर्माण लंबाई-300 मीटर।	19.43 14572.00
10 T0087	मु.सु.स. योजना के अंतर्गत धरसींवा ब्लाक के तहत दया नगर मुख्य मार्ग पानी टंकी की ओर (देवांगन किरान स्टोर से कृष्णा प्रोविजन) सी.सी. पहुंच मार्ग का निर्माण लंबाई-300 मीटर।	19.43 145772.00
10 T0088	मु.सु.स. योजना के अंतर्गत धरसींवा ब्लाक के तहत दया नगर मुख्य मार्ग पानी टंकी की ओर (गीता पवार के मकान से चर्च प्रोविजन तक) सी.सी. पहुंच मार्ग का निर्माण लंबाई-300 मीटर।	19.43 14572.00
10 T0089	मु.सु.स. योजना के अंतर्गत धरसींवा ब्लाक के तहत दया नगर मुख्य मार्ग पानी टंकी की ओर (हर्ष प्राईड गेट चर्च वकील का मकान) सी.सी. पहुंच मार्ग का निर्माण लंबाई-300 मीटर।	19.43 14572.00
10 T0090	मु.सु.स. योजना के अंतर्गत धरसींवा ब्लाक के तहत वार्ड नंबर-7 शिवाजी नगर, बिजली आफिस से द्वारिका बिहार के आसपास तक सी.सी. पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई-325 मीटर।	19.87 14902.00
10 T0091	मु.सु.स. योजना के अंतर्गत धरसींवा ब्लाक के तहत दुर्गा चौक से नरेन्द्र राजपूत के घर तक सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई-220 मीटर। (प्रस्तावित एच.एस.एस. पहुंच मार्ग)	18.67 14003.00
10 T0092	मु.सु.स. योजना के अंतर्गत धरसींवा ब्लाक के तहत नगर पालिक निगम रायपुर के वार्ड क्र.-4 गोवर्धन नगर में साई विहार कालोनी से कृष्णा चौक से प्रस्तावित हायर सेकेण्ड्री स्कूल तक सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य। लंबाई-250 मीटर। (प्रस्तावित एच.एस.एस. पहुंच मार्ग)	19.87 14902.00
10 T0093	मु.सु.स. योजना के अंतर्गत धरसींवा ब्लाक के तहत नगर पालिक निगम रायपुर के वार्ड क्र.-4 गोवर्धन नगर से नरेन्द्र राजपूर के घर से नाला तक सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई-250 मीटर। (प्रस्तावित एच.एस.एस. पहुंच मार्ग)	19.87 14902.00
10 T0094	मु.सु.स. योजना के अंतर्गत धरसींवा ब्लाक के तहत नगर पालिक निगम रायपुर के वार्ड क्र.-4 गोवर्धन नगर में किशोर राजपूत हाऊस से पाठक हाऊस से होते हुए राकेश साहू के मकान तक सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य। लंबाई- मीटर। (प्रस्तावित एच.एस.एस. पहुंच मार्ग)	18.70 14025.00
10 T0095	मु.सु.स. योजना के अंतर्गत धरसींवा ब्लाक के तहत दया नगर मुख्य मार्ग पानी टंकी की ओर (खुशी पार्लर से देव इलेक्ट्रानिक ओव्हहेड टंकी की ओर) लंबाई-50 मीटर एवं वार्ड नंबर-7 द्वारिका विहार पुराना मुक्तिधाम, राशन दुकान के आसपास निर्माण लंबाई 105 मीटर एवं वार्ड नंबर-7 शिवजी नगर, गली नंबर-1 के दाहिनी तरफ तक लंबाई 27 मीटर सी.सी. मार्ग का निर्माण।	13.11 9832.00

// नियम व शर्तें //

1. ब्लाक-धरसींवा/ ई-श्रेणी के लिए।
2. आवेदन के साथ वैध जी.एस.टी./वैध पंजीयन की प्रति अनिवार्य है।
3. आवेदन देते समय सोशल डिस्टेसिंग एवं मास्क लगाना अनिवार्य है।
4. निविदा संबंधी विभागीय वेबसाईट www.cg.nic.in/pwdraipur में Live Tender में उपलब्ध है।
5. निविदा से संबंधित शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

जी-64724/3

कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. विधानसभा संभाग
रायपुर (छ.ग.)

राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव NATIONAL TRIBAL DANCE FESTIVAL

छत्तीसगढ़ में
आदिवासी
संस्कृति
संगीत व नृत्य की छटा

तीन दिवसीय
राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव
28 से 30 अक्टूबर, 2021

7 देश | भारत के 27 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश
के 1000 से ज्यादा कलाकार देंगे अपनी प्रस्तुतियां

युगांडा, नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान, स्वाज़ीलैंड, मालदीव, श्रीलंका, फिलिस्तीन और सीरिया की आदिवासी संस्कृति की झलक

दो विधाओं में प्रदर्शन - विवाह संस्कार एवं पारम्परिक विधाएं

हर विधा में

प्रथम पुरस्कार	द्वितीय पुरस्कार	तृतीय पुरस्कार
5 लाख	3 लाख	2 लाख

उद्घाटन कार्यक्रम
प्रातः 11 बजे | 28 अक्टूबर, 2021
साइंस कॉलेज मैदान, रायपुर

मुख्य अतिथि
श्री हेमंत सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड सरकार

अध्यक्षता
श्री भूपेश बघेल
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

अतिविशिष्ट अतिथि
श्री के.सी. वेणुगोपाल, माननीय सांसद, राज्यसभा
श्री पी.एल. पुनिया, माननीय पूर्व सांसद, राज्यसभा
श्री अधीर रंजन चौधरी, माननीय सांसद, लोकसभा
डॉ. चरणदास महंत, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा
श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, माननीय पूर्व मंत्री, हरियाणा सरकार
श्री बी.के. हरिप्रसाद, माननीय पूर्व सांसद, राज्यसभा
श्री भक्तचरण दास, माननीय पूर्व केन्द्रीय मंत्री
श्री मनोज मंडावी, माननीय उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा
श्री मोहन मरकाम, माननीय विधायक

विशिष्ट अतिथि
श्री ताम्रध्वज साहू, माननीय मंत्री
श्री टी.एस. सिंहदेव, माननीय मंत्री
श्री रविन्द्र चौबे, माननीय मंत्री
डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, माननीय मंत्री
श्री मोहम्मद अकबर, माननीय मंत्री
श्री कवासी लखमा, माननीय मंत्री
डॉ. शिवकुमार डहरिया, माननीय मंत्री
श्रीमती अनिला भेंडिया, माननीया मंत्री
श्री जयसिंह अग्रवाल, माननीय मंत्री
श्री गुरु रुद्रकुमार, माननीय मंत्री
श्री उमेश पटेल, माननीय मंत्री
श्री अमरजीत भगत, माननीय मंत्री
श्री सुनील सोनी, माननीय सांसद, रायपुर
श्री चिंतामणि महाराज, माननीय संसदीय सचिव
श्री विकास उपाध्याय, माननीय संसदीय सचिव
श्री कुंवर सिंह निषाद, माननीय संसदीय सचिव
श्री द्वारिकाधीश यादव, माननीय संसदीय सचिव
श्री सत्यनारायण शर्मा, माननीय विधायक
श्री धनेन्द्र साहू, माननीय विधायक
श्री बृजमोहन अग्रवाल, माननीय विधायक
श्री कुलदीप जुनेजा, माननीय विधायक
श्रीमती अनीता शर्मा, माननीय विधायक
एवं
समस्त माननीय सांसद, विधायक, संसदीय सचिव, निगम, मंडल, आयोग, जिला पंचायत के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं माननीय महापौर की गरिमामय उपस्थिति।

आप सादर आमंत्रित हैं

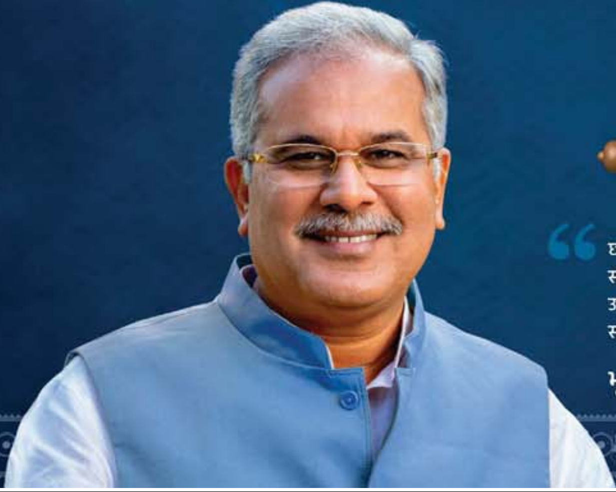

"छत्तीसगढ़ राज्य की जीवंत संस्कृति में कई जनजातियों का योगदान है, वे हमारी साझी संस्कृति का एक अहम् हिस्सा हैं जिन पर हमें गर्व है। इस आदिवासी नृत्य महोत्सव का उद्देश्य छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के आदिवासी जीवन की समृद्ध विविधता और सांस्कृतिक विशिष्टता को बढ़ावा देना और दुनिया के सामने प्रदर्शित करना है"

भूपेश बघेल मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन

संवाद - 30329